मध्यप्रदेश शासन

प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2021–22

पशुपालन एवं डेयरी विभाग

मध्यप्रदेश शासन भोपाल

दिनांक 13 नवम्बर 2021 को केन्द्रीय मंत्री माननीय श्री पुरूषोत्तम रूपाला जी, भारत सरकार मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, नई दिल्ली तथा महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरि जी, गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष, पशुपालन के क्षेत्र में केन्द्रीय योजनाओं एवं उद्यमिता पर संवाद कार्यक्रम का उद्‌घाटन करते हुए

दिनांक 20 अक्टूबर 2021 को माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश, आचार्य श्री विद्यासागर जीवदया (गौसेवा) सम्मान योजना अन्तर्गत पुरूस्कार वितरण करते हुए

मंत्रालय

पद नाम	नाम	दूरभाष	
		कार्यालय	निवास
मान. मंत्री पशुपालन एवं डेयरी	माननीय श्री प्रेम सिंह पटेल	2708580	2579717 2570242
कृषि उत्पादन आयुक्त	श्री शैलेन्द्र सिंह	2708708	—
अपर मुख्य सचिव	श्री जे.एन. कांसोटिया	2558263	2431910
उप सचिव	—	—	—
अवर सचिव	श्री सुनील मंडावी	2512023	—

विभागाध्यक्ष

पद नाम	नाम	दूरभाष	
		कार्यालय	निवास
संचालक पशुपालन	डा. आर.के. मेहिया	2772262	2550983
प्रबन्ध संचालक मध्यप्रदेश स्टेट को–आपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड	श्री शमीम उद्दीन	2602145	—
प्रबन्ध संचालक मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम	डा. एच.बी.एस. भदौरिया	2776086	2980223
प्रबन्ध संचालक मध्यप्रदेश गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड	डा. आर.के. मेहिया	2776310	—

विषय सूची

भाग	विषय	पृष्ठ
एक	1.1 विभागीय संरचना	1
	1.2 अधीनस्थ कार्यालय	2
	1.3 विभाग के अन्तर्गत आने वाले उपक्रम/ निगम मण्डलों का विवरण	2
	1.4 विभाग का उद्देश्य	3
	1.5 विभाग से संबंधित सामान्य जानकारी	3
	1.6 तकनीकी कार्य	3
	1.7 पशु स्वास्थ्य रक्षा एवं संवर्धन	4
	1.8 मध्य प्रदेश पशुधन विकास नीति	5
	1.9 नस्ल सुधार	5—10
	1.10 महत्वपूर्ण सांख्यिकी	10—12
दो	**बजट विहंगावलोकन एवं बजट प्रावधान एवं व्यय**	13
तीन	**राज्य योजनाएं तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं**	
	3.1 हितग्राही मूलक योजनाएं	14—19
	3.2 पशु चिकित्सा सेवाओं का विस्तार	19—20
	3.3 पशु संजीवनी 1962	20
	3.4 भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला की स्थापना	20
	3.5 पशु आश्रय स्थल आसरा	21
	3.6 पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय	21
	3.7 केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं	22—32
	3.8 राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (NADCP)	32
	3.9. राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम (NAIP)	33
	3.10 जेण्डर बजट	34
	3.11 आत्म निर्भर मध्यप्रदेश रोडमैप की प्रगति	34—35
	3.12 नेशनवाइड एनिमल हस्बेन्ड्री, डेयरी एवं फिशरीज किसान क्रेडिट कार्ड कैम्पेन	35
	3.13 पशुपालन आधोसंरचना विकास निधि	35—36
चार	**शासकीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्र/भेड़ प्रक्षेत्र/बकरी प्रक्षेत्र/कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र**	
	4.1 शासकीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्र का उद्देश्य	37
	4.2 शासकीय भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र का उद्देश्य	37
	4.3 शासकीय बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र का उद्देश्य	38
	4.4 शासकीय कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र का उद्देश्य	38—39
पांच	**सामान्य प्रशासनिक जानकारी**	40—42
छः	**विभागीय उपलब्धियां**	
	6.1 महत्वपूर्ण विभागीय उपलब्धियां	43—44

सात	**विभाग के अन्तर्गत आने वाले निगम, बोर्ड एवं समितियां**	
	7.1 म.प्र.राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम	45–48
	7.2 एम.पी. स्टेट कोआपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड	49–51
	7.3 म.प्र.गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड	52–54
	7.4 पशु रोगी कल्याण समिति	55
	7.5 पशु क्रूरता निवारण समिति	55
	7.6 मध्य प्रदेश पशु चिकित्सा परिषद्	55–56
	7.7 मध्यप्रदेश राज्य पशु कल्याण सलाहकार मण्डल	56
आठ	परिशिष्ट एक–जिलेवार 20वीं पशु संगणना 2019 के आंकड़े	57–58
	परिशिष्ट दो–20वीं पशु संगणना में मध्यप्रदेश की हिस्सेदारी	59
	परिशिष्ट तीन–देश में राज्यों के अनुमानित पशु उत्पाद दूध, अंडा, ऊन एवं मांस की जानकारी (वर्ष 2019–20)	60
	परिशिष्ट चार–जिलेवार अनुमानित दूध,अण्डा,ऊन एवं मांस की जानकारी (वर्ष 2020–21)	61–62
	परिशिष्ट पांच–20वीं पशु संगणना 2019 अनुसार प्रजनन योग्य गौ–भैंस (मादा पशु) की जानकारी	63–64
	परिशिष्ट छः–19वीं पशु संगणना 2012 अनुसार म.प्र. में प्रति पशु चिकित्सा संस्थाओं पर पशुधन स्थिति (2020–21 की स्थिति में)	65–66

भाग – एक

1.1 विभागीय संरचना

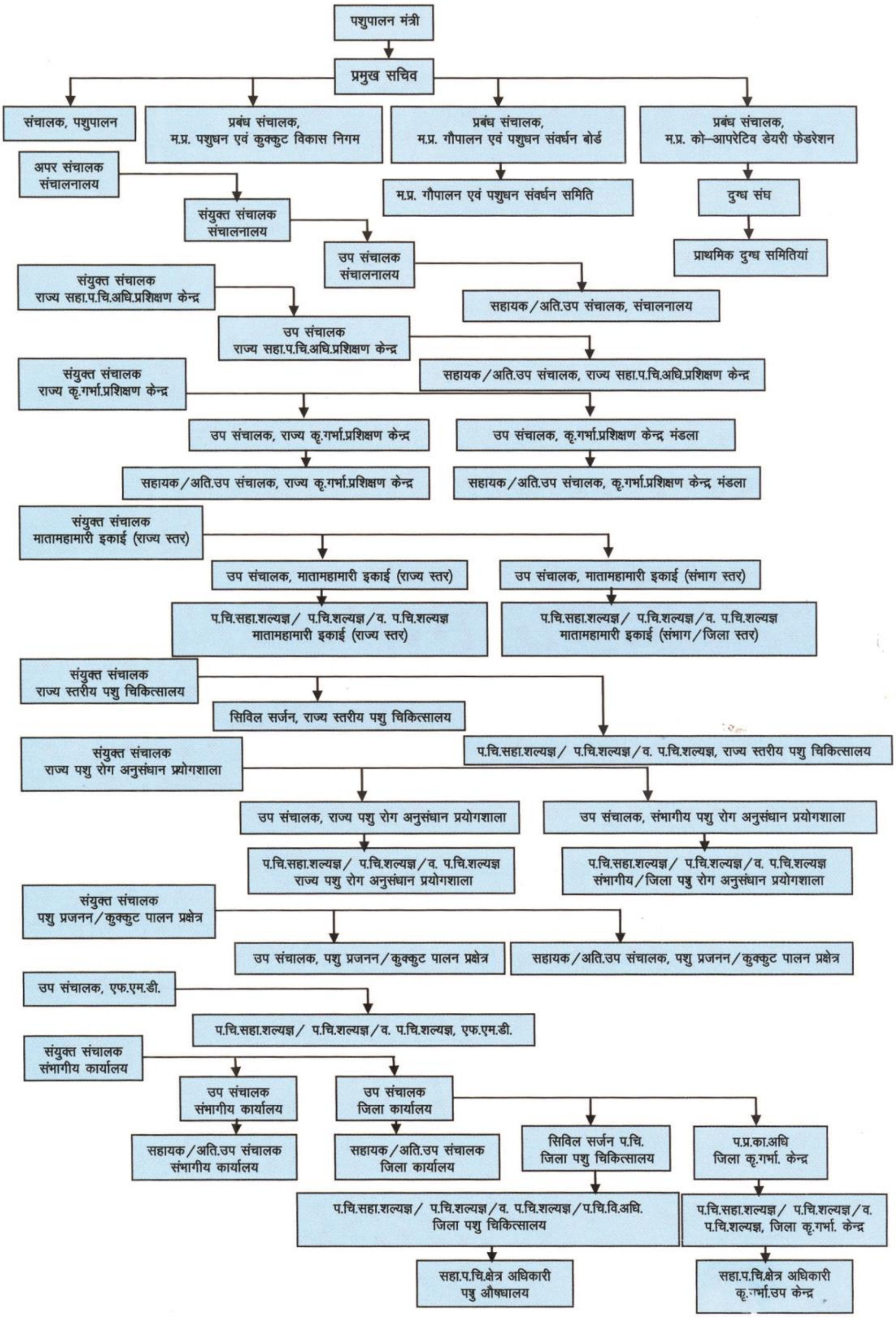

1.2 अधीनस्थ कार्यालय

(i) संचालनालय पशुपालन,

(ii) पशु स्वास्थ्य एवं जैविक उत्पाद संस्थान महू जिला इन्दौर,

(iii) संयुक्त संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं, समस्त संभाग,

(iv) उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं समस्त जिले,

(v) राज्य पशु रोग अन्वेषण प्रयोगशाला, भोपाल,

(vi) माता महामारी उन्मूलन कार्यक्रम म0प्र0, भोपाल,

(vii) मुँहखुरी रोग व्यापकी इकाई, भोपाल,

(viii) कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल/मंडला,

(ix) सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान शिवपुरी,

(x) राज्य पशु चिकित्सालय भोपाल,

(xi) जर्सी पशु प्रजनन प्रक्षेत्र भदभदा (भोपाल)

(xii) पशु प्रजनन प्रक्षेत्र मिनौरा (टीकमगढ़) आगर (मालवा) रोड़िया (खरगौन), इमलीखेड़ा (छिंदवाड़ा), गढ़ी (बालाघाट), पवई (पन्ना), बांसाखेड़ी (मंदसौर)

(xiii) बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र आरोन (ग्वालियर), मिनौरा (टीकमगढ़), चिनकी उमरिया (नरसिंहपुर)

(xiv) भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र पड़ोरा (शिवपुरी), मिनौरा (टीकमगढ़)

(xv) कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र एवं अनुसंधान केन्द्र भोपाल,

(xvi) कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र इन्दौर/ग्वालियर/रीवा/शहडोल/ छिंदवाड़ा/ झाबुआ /गुना/सागर,

(xvii) कुक्कुट प्रशिक्षण विद्यालय, रीवा

1.3 विभाग के अन्तर्गत आने वाले उपक्रम/ निगम/मंडलों/ परिषद्/ संस्थानों का विवरण

1.3.1 मध्यप्रदेश गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड,

1.3.2 मध्यप्रदेश स्टेट को–ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड

1.3.3 मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम,

1.3.4 म0प्र0पशु चिकित्सा परिषद,

1.3.5 नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर

1.3.6 मध्यप्रदेश राज्य पशु कल्याण सलाहकार मण्डल

1.4 विभाग का उद्देश्य

पशुपालन एवं डेयरी विभाग का उद्देश्य पशु स्वास्थ्य रक्षा तथा पशु संवर्धन एवं संरक्षण के माध्यम से पशुधन एवं कुक्कुट उत्पाद में वृद्धि करना तथा कमजोर वर्ग के हितग्राहियों को पशुपालन के माध्यम से आर्थिक लाभ पहुँचाना है।

1.5 विभाग से संबंधित सामान्य जानकारी

1 नवम्बर, 1956 को मध्यप्रदेश के गठन उपरान्त 20 मई 1962 को कृषि विभाग के अन्तर्गत ही पृथक से संचालनालय, पशु चिकित्सा सेवाएं स्थापित किया गया। वर्ष 1981 में पशुपालन एवं डेयरी विभाग को कृषि विभाग से पृथक करते हुए स्वतंत्र रुप से अस्तित्व में लाया गया। 4 फरवरी 2011 से संचालनालय पशु चिकित्सा सेवाएं का नाम परिवर्तन कर संचालनालय, पशुपालन किया गया है इसके बाद दिनांक 11 जनवरी 2021 को प्रकाशित सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–1–4/202–एक द्वारा पशुपालन विभाग का नाम परिवर्तित कर पशुपालन एवं डेयरी विभाग किया गया है।

1.5.1	प्रदेश का कुल क्षेत्रफल (हजार वर्ग किलोमीटर में)	308
1.5.2	प्रदेश की कुल जनसंख्या (लाख में) जनगणना 2011	726
1.5.3	प्रदेश में 20वीं पशु संगणना अनुसार कुल पशुधन संख्या (लाख में)	406.22
1.5.4	प्रदेश में 20वीं पशु संगणना अनुसार कुल गौवंशीय पशु (लाख में)	187.35
1.5.5	प्रदेश में 20वीं पशु संगणना अनुसार कुल भैंसवंशीय पशु (लाख में)	103.07
1.5.6	प्रदेश में 20वीं पशु संगणना अनुसार कुल भेड़ा–भेड़ी पशु (लाख में)	3.24
1.5.7	प्रदेश में 20वीं पशु संगणना अनुसार कुल बकरा–बकरी पशु (लाख में)	110.65
1.5.8	प्रदेश में 20वीं पशु संगणना अनुसार कुल कुक्कुट (लाख में)	166.60

1.6 तकनीकी कार्य

1.6.1 पशु चिकित्सा सेवाएं अन्तर्गत पशु रोगों की रोकथाम तथा उसका उपचार।

1.6.2 पशु रोग अन्वेषण।

1.6.3 टीकाकरण।

1.6.4 बधियाकरण।

1.6.5 पशुपालन अन्तर्गत समग्र पशुधन का संरक्षण/ संवर्धन एवं विकास।

1.6.6 समुन्नत प्रजनन।

1.6.7 पशुपालन विस्तार सेवा।

1.6.8 पशुधन विकास कार्यो का पर्यवेक्षण।

1.6.9 कुक्कुट पालन, प्रजनन, संवर्धन।

1.6.10 दुग्ध, दुग्ध उत्पादों, अण्डों, मांस की जांच गुणवत्ता नियंत्रण।

1.6.11 डेयरी गतिविधियों का सर्वेक्षण, विस्तार, विकास सॉख्यिकी।

1.6.12 सेवाओं से संबद्ध सभी विषय जिसका विभाग से संबंध हो।

1.7 पशु स्वास्थ्य रक्षा एवं संवर्धन

1.7.1 पशु स्वास्थ्य रक्षा हेतु विभाग द्वारा राज्य स्तरीय पशु चिकित्सालय, संभागीय पॉलीक्लिनिक, जिला/विकासखण्ड/ग्राम स्तरीय पशु चिकित्सालय, पशु औषधालय, चल चिकित्सा इकाई, चल विरूजालय, स्टेट पेटर्न कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र, स्टेट पेटर्न कृत्रिम गर्भाधान उपकेन्द्र, मुख्य ग्राम खण्ड योजना, मुख्य ग्राम खण्ड इकाई, रोग अनुसंधान प्रयोगशालाएं एवं टीकाद्रव्य उत्पादन हेतु पशु स्वास्थ्य एवं जैविक उत्पादन संस्थान महू जिला इन्दौर में संचालित है। पशुओं की स्वास्थ्य रक्षा पशु उपचार, औषधि वितरण, टीकाकरण, नमूनों की जांच आदि से की जाती है। पशुओं का उपचार न केवल पशु चिकित्सालयों व पशु औषधालयों में किया जाता है बल्कि चल पशु चिकित्सा इकाई/विरुजालय व पशु चिकित्सा शिविरों का आयोजन करके भी किया जाता है। 1962 पशुसंजीवनी द्वारा घर पहुँच चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

1.7.2 संक्रामक रोगों की रोकथाम हेतु समसामयिक टीकाकरण किया जाता है। टीकाकरण हेतु जिला स्तर पर निम्नानुसार विन्दुओं पर ब्लू प्रिंट तैयार किए जाते हैः—

1.7.2.1 ऐसे ग्रामों की 5 किलोमीटर की परिधि में आने वाले ग्रामों के समस्त पशु जहाँ गत् तीन वर्षों में किसी संक्रामक रोग का उद्भेद हुआ हो।

1.7.2.2 ग्वारियों में जाने वाले पशु।

1.7.2.3 प्रदेश के बाहर आवागमन मार्गो से आने—जाने वाले पशु।

1.7.2.4 पशु बाजार में बाहर से आने वाले पशु।

1.7.2.5 वन क्षेत्र की सीमा में आने वाले ग्रामों के पशु।

1.7.3 संक्रामक रोगों में मुंहपका खुरपका रोग(एफ.एम.डी),एकटंगिया .अथवा चुरकारोग (बीक्यू), गलघोंटू अथवा घटसर्प रोग (एच.एस.) छड़ (एंथ्रेक्स), पी.पी.आर. स्वाईन फीवर, एंट्रोटोक्सिमिया, रैबीज, रानीखेत (कुक्कुट), फाउलपॉक्स (कुक्कुट), स्पाईरोकीटोसिस (कुक्कुट), मैरेक्स (कुक्कुट), गंबोरो (कुक्कुट) का टीकाकरण किया जाता है।

1.7.4 प्रदेश में पशु संसर्गजन्य रोगों (contagious) के रोकथाम हेतु पशु स्वास्थ्य एवं जैविक उत्पादन संस्थान महू जिला इन्दौर में चार प्रकार के जीवाणु टीके 4 प्रकार के विषाणु टीके एवं दो प्रकार के टिशू कल्चर (विषाणु) टीके तथा तीन प्रकार के टीका घोलकों का उत्पादन किया जाता हैं।

1.7.5 यह संस्थान प्रदेश में टीकाद्रव्य की आवश्यकता की पूर्ति करता है साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य को भी आवश्यकतानुसार टीकाद्रव्य प्रदाय किया जाता है एवं विशेष परिस्थितियों में देश के अन्य राज्यों को भी टीकाद्रव्य उपलब्ध कराया जाता है।

1.8 मध्यप्रदेश पशुधन विकास नीति

प्रदेश की कृषि क्षेत्र गतिविधियों के विकास एवं गरीबी उन्मूलन में पशुपालन के महत्व के दृष्टिगत पशुपालन विभाग द्वारा मध्यप्रदेश पशुधन विकास नीति 2011 तैयार की गई है। पशुधन विकास नीति की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं

1.8.1 विभिन्न पशुधन विकास एवं उत्पादकता वृद्धि कार्यक्रमों के लिए एक समान रणनीति न अपनाते हुए कृषि जलवायु तथा आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थितियों पर आधारित कार्यक्रम बनाए जाने पर विशेष ध्यान दिया गया है।

1.8.2 लघु एवं संसाधन विहीन पशुपालकों को पशुधन उत्पादन वृद्धि में होने वाली कठिनाईयों को दूर करने के उद्देश्य से कम लागत मूल्य पर अधिकाधिक संसाधन उपलब्ध कराए जाने के प्रयास किए गए हैं ।

1.8.3 पशुधन विकास कार्यक्रमों का वातावरण में प्रभाव, समान अवसर, महिलाओं को सीधा लाभ तथा स्थिरता जैसे मुद्दों को भी नीति में समाहित किया गया है।

1.8.4 पशुधन क्षेत्र की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संस्थागत संरचना एवं प्रक्रियाओं पर विशेष ध्यान देते हुए विभागीय अमले की दक्षता उन्नयन संबंधित विषयों को भी शामिल किया गया है ।

1.8.5 पशुधन विकास नीति में सार्वजनिक/निजी/किसान/गैर सरकारी संस्थाओं की साझेदारी को प्रोत्साहन दिए जाने पर बल दिया गया है।

1.8.6 पशुधन उत्पादन एवं उत्पादकता वृद्धि कार्यक्रमों के विस्तार एवं क्रियान्वयन हेतु गैर सरकारी संस्थाओं, स्वयंसेवी संस्थाओं एवं लोक निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने की ओर विशेष ध्यान दिया गया है ।

1.8.7 विभिन्न कार्यक्रमों के अग्रगामी एवं पश्चगामी जुडावों का ध्यान भी नीति में रखा गया है ताकि पशुधन उत्पादों के संकलन, प्रसंस्करण एवं उनका लाभात्मक विपणन सुनिश्चित किया जा सके।

1.8.8 पशुधन विकास नीति गतिमान स्वरूप की होने के फलस्वरूप समय–समय पर पशुपालन के क्षेत्र में हो रहे परिवर्तन के अनुरूप शिथिलता समाहित किए हुए है।

1.9 नस्ल सुधार

प्रदेश में उपलब्ध पशुओं में मुख्यतः अवर्णित नस्ल के पशु अधिक संख्या में पाए जाते हैं। इन पशुओं की उत्पादक क्षमता बहुत कम है इनकी उत्पादक क्षमता में वृद्धि के लिए प्रदेश में नस्ल सुधार कार्यक्रम संचालित हैं। इस कार्यक्रम के तहत् कृत्रिम गर्भाधान एवं प्राकृतिक गर्भाधान द्वारा नस्ल सुधार किया जाता है। प्राकृतिक गर्भाधान में उच्च कोटि के सांडों से मादा पशुओं में प्राकृतिक गर्भाधान कराकर नस्ल सुधार किया जा रहा है। इसी प्रकार कृत्रिम गर्भाधान में उन्नत नस्ल के सांडों के वीर्य से कृत्रिम विधि द्वारा मादा पशुओं में गर्भाधान कराकर नस्ल सुधार किया जा रहा है। प्रदेश में 20वीं पशु संगणना 2019 के अनुसार उपलब्ध 132.47 लाख प्रजनन योग्य मादा पशुओं हेतु नस्ल सुधार कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है

1.9.1 प्रदेश के देशी वर्णित पशुधन

1.9.1.1 मालवा क्षेत्र के शाजापुर, देवास, इन्दौर, उज्जैन व राजगढ़ जिलों में मालवी नस्ल के गौवंशीय पशु अपनी भारवाहक क्षमता के लिए प्रसिद्ध हैं।

1.9.1.2 इसी प्रकार निमाड़ क्षेत्र के खरगौन, बड़वानी जिलों में निमाड़ी नस्ल के गौवंशीय पशु अपनी भारवाहक क्षमता के लिए पहचाने जाते हैं।

1.9.1.3 टीकमगढ़ व पन्ना क्षेत्र में केनकथा नस्ल के गौवंशीय पशु अपनी भारवाहक क्षमता के लिए प्रसिद्ध हैं।

1.9.1.4 भैंस वंश में भदावरी उत्तरी मध्यप्रदेश के भिण्ड जिले में पाई जाती है जो कि दुग्ध उत्पादन हेतु तुलनात्मक दृष्टि से अच्छी है।

1.9.1.5 मध्यप्रदेश के झाबुआ तथा धार जिले में प्रदेश की महत्वपूर्ण ख्याति प्राप्त कुक्कुट नस्ल कड़कनाथ पाई जाती है। इसके सरंक्षण तथा संवर्धन हेतु विभाग में कड़कनाथ प्रक्षेत्र झाबुआ में संचालित है।

1.9.2 पशु प्रजनन नीति

1.9.2.1 गौवंशीय पशु प्रजनन नीति

प्रदेश के गौ–वंशीय पशुओं के प्रजनन के लिए निम्नलिखित मापदण्ड निर्धारित किए गए हैं:–

(i) स्थानीय गौ–नस्ल के संरक्षण हेतु नस्ल के ब्रीडिंग ट्रैक्ट्स के शाजापुर, राजगढ़ जिले में मालवी नस्ल से, निमाड़ क्षेत्र के खरगौन, बड़वानी जिलों में निमाड़ी नस्ल से एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र के जिला पन्ना व छतरपुर जिले की लौड़ी तहसील में केनकथा नस्ल से चयनित प्रजनन।

(ii) ग्रामीण क्षेत्र में क्षेत्र विशेष अनुसार स्थानीय अवर्णित नस्लों का देशी वर्णित नस्ल से उन्नयन। मुख्यतः गिर, साहीवाल, थारपारकर व हरियाणा नस्ल से।

(iii) शहरी, अर्द्धशहरी, मिल्कशेड व औद्योगिक क्षेत्र में जर्सी व हॉलिस्टिन फ्रीजियनसे संकर प्रजनन। सामान्यतः विदेशी रक्त (Exotic Blood Level) का स्तर 50 प्रतिशत तक एवं प्रगतिशील पशुपालकों की इच्छानुसार विदेशी रक्त का स्तर 62.5 प्रतिशत तक।

उपरोक्त मापदण्ड अनुसार प्रजनन नीति के क्रियान्वयन हेतु प्रदेश को निम्नलिखित सात जोन में विभाजित किया गया है––

(i) जोन I उत्तरीय नदी घाटी

इस जोन के अन्तर्गत भिण्ड, मुरैना, ग्वालियर तथा दतिया का अल्प भाग आता है एवं इस जोन में हरियाणा नस्ल की तरह व श्रेणीकृत द्विउद्देशीय गौवंशीय पशु पाए जाते हैं। साधारणतः ये पशु आंशिक स्टाल फीडिंग प्रणाली में पाले जाते हैं। इस क्षेत्र की कृषि जलवायु स्थिति हरियाणा नस्ल के होम ट्रेक्ट से मिलती जुलती है, अतः इस जोन के ग्रामीण क्षेत्रों में हरियाणा नस्ल से उन्नयन किया जाएगा। पशुपालकों की मांग पर शहरी एवं अर्द्ध–शहरी क्षेत्रों में विदेशी नस्ल से संकर प्रजनन भी किया जा सकता है।

(ii) जोन II लैट्रेटिक बेल्ट आफ शिवपुरी

इस जोन के अन्तर्गत शिवपुरी जिला एवं गुना का उत्तरी हिस्सा आता है एवं इस क्षेत्र के गौवंशीय पशु सामान्यतः गहरे लाल रंग के औसत कद काठी के हैं जो कृषि कार्य के लिए उपयुक्त हैं किन्तु इनका दुग्ध उत्पादन कम है। अतः इस जोन के ग्रामीण क्षेत्रों में देशी वर्णित नस्ल जैसे हरियाणा, थारपारकर से उन्नयन किया जाएगा। चूँकि शिवपुरी जिला मिल्क शेड में आता है, इसलिए शहरी एवं अर्द्ध–शहरी क्षेत्रों में जर्सी नस्ल से संकर प्रजनन अनुशंसित है।

(iii) जोन III मालवा का पठार

इस जोन के अन्तर्गत राजगढ़, शाजापुर, उज्जैन, रतलाम, इंदौर, देवास, गुना, विदिशा, रायसेन, सीहोर, धार, उत्तरी झाबुआ, मंदसौर एवं नीमच जिले आते हैं एवं इस क्षेत्र में मुख्य रूप से द्विउद्देशीय गाय की मालवी नस्ल पाई जाती है। इस जोन के अन्तर्गत उज्जैन जिले की महिदपुर तहसील, राजगढ जिले की खिलचीपुर, जीरापुर तहसील एवं आगर व शाजापुर जिले की आगर एवं शाजापुर तहसील में मालवी नस्ल से चयनित प्रजनन किया जाएगा एवं शेष ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालकों की मांग अनुसार मालवी एवं थारपारकर अथवा गिर नस्ल से उन्नयन तथा शहरी एवं अर्द्ध शहरी क्षेत्रों के मिल्क शेड क्षेत्र में विदेशी नस्ल जर्सी, एच. एफ. से संकर प्रजनन किया जाना लक्षित है।

(iv) जोन IV निमाड़ी ट्रेक्ट

इस जोन के अन्तर्गत अलीराजपुर जिले की अलीराजपुर तहसील, धार जिले की कुक्षी व मनावर तहसील, जिला खरगोन, बडवानी, खण्डवा, बुरहानपुर, हरदा जिले की हरदा तहसील तथा बैतूल जिले की भैंसदेही तहसील आती है। इस जोन में गाय की निमाड़ी नस्ल के पशु पाए जाते हैं जो एक भार वाहक नस्ल है। इस जोन के पश्चिम निमाड़–खरगोन व बड़वानी, जिलो में निमाड़ी नस्ल चयनित प्रजनन, पूर्वी निमाड़–खण्डवा, बुरहानपुर, जिले के ग्रामीण क्षेत्र में निमाड़ी नस्ल से चयनित प्रजनन तथा शेष शहरी व मिल्क शेड क्षेत्र में विदेशी नस्ल से संकर प्रजनन किया जाना लक्षित है।

(v) जोन V पश्चिमी विंध्य पठार व नर्मदा घाटी

इस जोन के अन्तर्गत जिला जबलपुर, नरसिंहपुर, सागर, होशंगाबाद, दमोह जिले की दमोह तहसील, छिंदवाडा जिले की अमरवाडा तहसील तथा सिवनी जिला (कुरई विकास खण्ड छोड़कर) आता है एवं इस जोन क्षेत्र में अवर्णित नस्ल के देशी पशु पाए जाते हैं। प्रजनन नीति अनुसार जोन के ग्रामीण क्षेत्र में थारपरकर नस्ल से उन्नयन तथा मिल्क शेड व शहरी क्षेत्र में विदेशी नस्ल जर्सी, हॉलिस्टिन फ्रिजियन से संकर प्रजनन तथा छत्तीसगढ से जुड़े कुछ क्षेत्रों में साहीवाल नस्ल से उन्नयन किया जाना लक्षित है।

(vi) जोन VI पूर्वी विंध्य पठार

इस जोन के अन्तर्गत दमोह जिले की हटा तहसील, जबलपुर की मुडवारा तहसील एवं जिला रीवा, सतना, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ तथा सीधी जिले का उत्तरी क्षेत्र आते हैं एवं इस जोन की केन घाटी में पन्ना जिले की अजयगढ़ तहसील क्षेत्र केनकथा नस्ल का होम लैण्ड है। यह नस्ल प्रसिद्ध भारवाहक नस्ल है जो पहाड़ी क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। केनकथा नस्ल के श्रेणीकृत पशु पन्ना जिले से जुड़े हुए छतरपुर के कुछ भागों में भी पाए जाते हैं। प्रजनन नीति अनुसार केन नदी घाटी के अजयगढ तहसील के साथ पन्ना में केनकथा नस्ल से चयनित प्रजनन, जोन के ग्रामीण क्षेत्रों में हरियाणा नस्ल से उन्नयन तथा शहरी क्षेत्र में जर्सी हॉलिस्टिन फ्रीजियन नस्ल से संकर प्रजनन किया जाना लक्षित है।

(vii) जोन VII पूर्वी सतपुडा का पठार

इस जोन के अन्तर्गत जिला बालाघाट एवं सिवनी जिले के लखनादोन तहसील से पूर्वी क्षेत्र की ओर शहडोल, उमरिया, अनूपपुर जिले तक इस क्षेत्र में देशी अवर्णित नस्ल के पशु पाए जाते हैं। इस जोन के शहरी क्षेत्र में जर्सी हॉलिस्टिन फ्रीजियन से संकर प्रजनन तथा ग्रामीण क्षेत्र में थारपारकर एवं छत्तीसगढ राज्य से जुडे क्षेत्र में साहीवाल नस्ल से उन्नयन किया जाना लक्षित है। इसी प्रकार महाराष्ट्र राज्य के वर्धा, नागपुर जिलों से जुडे मध्यप्रदेश के छिंदवाडा, सिवनी, बालाघाट व बैतूल जिलों के चयनित पाकेट में गौलव नस्ल से उन्नयन किया जाना अनुशंसित है।

1.9.2.2 भैंस वंशीय पशु प्रजनन नीति

सामान्यतः प्रदेश में अवर्णित नस्ल के भैंस वंशीय पशु तथा ग्रेडेड मुर्रा पशु पाए जाते हैं। मात्र उत्तरी नदी घाटी के जिला भिण्ड में भदावरी व ग्रेडेड भदावरी भैंस वंशीय पशु पाए जाते हैं।

जोन I–

उत्तरी नदीघाटी के जिला भिण्ड एवं जिले से जुड़े ग्वालियर संभाग के जिलों के चयनित क्षेत्र में भदावरी नस्ल से उन्नयन।

जोन II–

मालवा का पठार एवं ब्रीडिंग जोन **IV** निमाड़ी ट्रेक्ट क्षेत्र के कुछ भाग–दक्षिण पूर्वी गुजरात से जुड़े शहरों के कुछ भाग में जाफरावादी नस्ल से उन्नयन। उपरोक्त के अतिरिक्त शेष रहे सम्पूर्ण प्रदेश में मुर्रा नस्ल से उन्नयन।

1.9.2.3 छोटे पशुओं की प्रजनन नीति

(i) राज्य के उत्तरी क्षेत्र में बारबरी बकरों की नस्ल से उन्नयन तथा प्रदेश के शेष क्षेत्र में जमनापारी नस्ल से उन्नयन लक्षित है।

(ii) कॉरीडेल, रेम्बोलेट की संकर भेड़ नस्ल से स्थानीय भेड़ों का उन्नयन लक्षित है।

(iii) मिडिल व्हाइट याक्रशायर सूकर नस्ल से स्थानीय सूकरों का उन्नयन लक्षित है।

तालिका 1.1
प्रदेश में पशु स्वास्थ्य रक्षा एवं संवर्धन हेतु संचालित संस्थाएं

क्रमांक	संस्था का नाम	संख्या
1	राज्य स्तरीय पशु चिकित्सालय	1
2	जिला स्तरीय पशु चिकित्सालय (पॉलीक्लीनिक)	50
3	पशु चिकित्सालय	1012
4	पशु औषधालय	1583
5	चल पशु चिकित्सा इकाई	38
6	चल विरुजालय	27
7	राज्य स्तरीय रोग अन्वेषण प्रयोगशाला	1
8	संभाग स्तरीय रोग अन्वेषण प्रयोगशाला	7
7	जिला स्तरीय रोग अन्वेषण प्रयोगशालाएं	34
8	मुंहखुरी रोगव्यापकी इकाई	1
9	पशु स्वास्थ्य एवं जैविक उत्पाद् संस्थान	1
10	सीरम संस्थान	1
11	उप संचालक माता महामारी (राज्य स्तर)	1
12	पशु जांच चौकी	19
13	अनुगामी इकाई	10
14	सतक्रता इकाई	7
15	सघन टीकाकरण इकाई	7
16	रोग शमन दल	2
17	पशु निरोधस्थल (क्वारनटाइन स्टेशन)	1
18	फ्रोजन सीमेन बुल स्टेशन	1
19	फ्रोजन सीमेन बैंक	7
20	मुख्य ग्राम योजना	38
21	मुख्य ग्राम इकाई	380
22	नियंत्रित पशु प्रजनन कार्यक्रम	2
23	नियंत्रित पशु प्रजनन उपकेन्द (खिलचीपुर–25, खरगौन–25)	50
24	स्टेट पैर्टन कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र	16
25	स्टेट पैर्टन कृत्रिम रेतन उपकेन्द्र	141
26	गहन पशु विकास परियोजना	17
27	गहन पशु विकास कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र	60
28	गहन पशु विकास कृत्रिम गर्भाधान उपकेन्द्र	904
29	कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्थान	2
30	सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान	1

31	नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय	1
32	पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय	3
33	पशुपालन पत्रोपाधि महाविद्यालय	5
34	बुलमदर फार्म भोपाल	1
35	केन्द्रीय वीर्य संस्थान भोपाल	1
36	नौनेर वीर्य संग्रहण केन्द्र–दतिया	1
37	रतौना गोकुल ग्राम–सागर	1
38	कामधेनू ब्रीडिंग केन्द्र–कीरतपुर	1
39	केटल फीड संयंत्र कीरतपुर	1

तालिका 1.2
पशु स्वास्थ्य रक्षा की विगत तीन वर्षो की जानकारी (लाख में)

कं0	विवरण	2019–20	2020–21	2021–22 (माह दिसम्बर 2021 तक)
1	पशु उपचार	157.66	167.01	107.04
2	टीकाकरण	510.11	527.21	184.83

.

तालिका 1.3
पशु संवर्धन व उन्नत प्रजनन हेतु विगत तीन वर्षों की जानकारी (लाख में)

क्रं0	विवरण	2019–20	2020–21	2021–22 (माह दिसम्बर 2021 तक)
1	कृत्रिम गर्भाधान	32.32	33.70	24.84
2	कृत्रिम गर्भाधान से वत्सोत्पादन	10.71	11.22	7.78
3	प्राकृतिक गर्भाधान	7.61	7.93	5.59
4	प्राकृतिक गर्भाधान से वत्सोत्पादन	5.25	5.33	3.83
5	बधियाकरण	7.61	8.26	5.59

1.10 महत्वपूर्ण सांख्यिकीय

भारत विश्व के उन राष्ट्रों में से एक है जिनकी आर्थिकी पशुधन पर निर्भर है व सर्वाधिक गौ व भैंसवंश वाला राष्ट्र है। एकीकृत नमूना सर्वेक्षण के अनुमानित उत्पादनों के अनुसार वर्ष 2019–20 में देश में प्रदेश का दुग्ध उत्पादन में तीसरा, अण्डे उत्पादन में तेरहवां एवं मांस उत्पादन में चौदहवां स्थान है

तालिका 1.4
20वीं पशु संगणना 2019 एवं 19वीं पशु संगणना 2012 की तुलनात्मक स्थिति

क्रमांक	विवरण	20वीं पशु संगणना 2019	19वीं पशु संगणना 2012	प्रतिशत् वृद्धि / कमी
1	गौवंशीय पशु	1,87,50,828	1,96,02,366	–4.34
2	भैंस वंशीय पशु	1,03,07,131	81,87,989	25.88
3	भेड़ा/भेड़ी	3,24,585	3,08,953	5.06
4	बकरे/बकरियाँ	1,10,64,524	80,13,936	38.07
5	घोड़े/घोड़ियां	13,260	18,803	–29.48
6	खच्चर	2,543	6,989	–63.61
7	गधे	8,135	14,916	–45.46
8	ऊँट	1,753	3,422	–48.77
9	सूअर	1,64,616	1,75,253	–6.07
	कुल पशुधन	**4,06,37,375**	**3,63,32,627**	**11.85**
	कुत्ते	3,03,567		
	खरगोश	9,842		
	कुल कुक्कुट	**1,66,59,898**	**1,19,04,716**	**39.94**
	आवारा गौवंश	8,53,971	4,37,910	
	आवारा कुत्ते	10,09,076	12,08,539	

''स्त्रोतः– भारत सरकार की 20वीं एवं 19वीं पशु संगणना

तालिका 1.5
मध्यप्रदेश में केन्द्र प्रवर्तित योजना दूध,अण्डा एवं मांस उत्पाद् के वर्षवार आँकड़े

क्रं	विवरण	वर्ष				
		2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21
1	दुग्धोत्पादन (000मे.टनमें)	13445	14713	15911	17109	17999
2	अण्डा उत्पादन (लाख में)	16940	19422	21432	23794	26516
3	मांस उत्पादन (000मेंटनमें)	79	89	97	106	116

स्त्रोतः– भारत सरकार की एकीकृत नमूना सर्वेक्षण योजना

तालिका 1.6
मध्यप्रदेश में केन्द्र प्रवर्तित योजना दूध, अण्डा एवं मांस उत्पाद् के वर्षवार अनुमानित प्रति व्यक्ति उपलब्धता

वर्ष	प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दुग्ध उपलब्धता (ग्राम में)	प्रति व्यक्ति वार्षिक अंडा उपलब्धता (संख्या में)
2016—17	468	22
2017—18	505	24
2018—19	538	26
2019—20	543	28
2020—21	563	30

1.11 विभाग द्वारा प्रसारित अधिनियम व नियम/नीति :—

(i) मध्यप्रदेश पशुधन सुधार अधिनियम, 1950
(ii) मध्यप्रदेश कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम, 1959 (यथा संशोधित 2006)
(iii) मध्यप्रदेश पशु (नियंत्रण) अधिनियम, 1976
(iv) मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास अधिनियम,1982 (यथा संशोधित 1984)
(v) मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 (यथा संशोधित 2010) नियम 2012
(vi) मध्यप्रदेश पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 संशोधन अधिनियम 2012
(vii) मध्यप्रदेश राज्य पशु चिकित्सा परिषद् नियम 1993
(viii) मध्यप्रदेश गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड नियमावली 2006
(ix) मध्यप्रदेश पशुधन विकास नीति 2011
(x) पशुओं में संक्रामक एवं संसर्गजन्य रोगों के नियंत्रण एवं रोकथाम (चेकपोस्ट एवं संगरोग शिविर, निरीक्षण की रीति आदि) नियम 2015
(xi) म.प्र. गौ—भैंसवंश प्रजनन विनियमन अधिनियम 2019

1.12 भारत सरकार द्वारा प्रसारित नियम व अधिनियम प्रदेश में लागू

1.12.1 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960

1.12.2 भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984

1.12.3 पशुओं के संक्रामक एवं संसर्गजन्य रोगों के रोकथाम अधिनियम 2009

भाग–दो

बजट विहंगावलोकन एवं बजट प्रावधान व व्यय (योजनावार)

2.1 बजट एवं व्यय (आयोजना + आयोजनेत्तर)

क्रं.	वित्तीय वर्ष 2019–20		(राशि ` लाख में)
	योजना शीर्ष	प्राावधान	व्यय (माह 31 मार्च 2020 तक व्यय)
1	मांग संख्या 14–पशुपालन	117256.68	98697.00
2	मांग संख्या 53–त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2925.78	1955.53
3	मांग संख्या 61–बुन्देलखंड पैकेज से संबंधित व्यय	273.00	170.67
	योग	**120455.46**	**100823.20**

2.2 बजट एवं व्यय (आयोजना + आयोजनेत्तर)

क्रं.	वित्तीय वर्ष 2020–21		(राशि ` लाख में)
	योजना शीर्ष	प्रावधान	व्यय (माह 31 मार्च 2021 तक व्यय)
1	मांग संख्या 14–पशुपालन	94411.74	83646.41
2	मांग संख्या 53–त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	1478.09	1456.20
3	मांग संख्या 61–बुन्देलखंड पैकेज से संबंधित व्यय	00.0	00.0
	योग	**95889.83**	**85102.61**

2.3 बजट एवं व्यय (आयोजना + आयोजनेत्तर)

क्रं.	वित्तीय वर्ष 2021–22		(राशि ` लाख में)
	योजना शीर्ष	प्रावधान	व्यय (माह 31 दिसम्बर 2021 तक)
1	मांग संख्या 14–पशुपालन	106627.33	65847.08
	योग	**106627.33**	**65847.08**

भाग–तीन
राज्य योजनाएं तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं

3.1 हितग्राही मूलक योजनाएं

राज्य की हितग्राहीमूलक योजनाएं निम्नानुसार हैं :

3.1.1 आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना

यह योजना सभी वर्ग के हितग्राहियों के लिए है। इस योजना का उद्देश्य दुग्ध उत्पादन में वृद्धि, हितग्राहियों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना, पशुओं की दुग्ध उत्पादन क्षमता में वृद्धि तथा रोजगाार के अवसर प्रदान करना है।

योजनान्तर्गत पशुपालक न्यूनतम 5 या इससे अधिक पशु की योजना स्वीकृत करा सकेगा तथा परियोजना की अधिकतम सीमा राशि ` 10 लाख तक होगी। परियोजना लागत का 75% राशि बैंक ऋण के माध्यम से प्राप्त करनी होगी तथा शेष राशि की व्यवस्था मार्जिन मनी सहायता एवं हितग्राही का स्वयं के अंशदान के रुप में करनी होगी। इकाई लागत के 75% पर या हितग्राही द्वारा बैंक से प्राप्त ऋण पर जो भी कम हो 5% वार्षिक व्याज की दर से (अधिकतम राशि ` 25000 प्रतिवर्ष) ब्याज की प्रतिपूर्ति 7 वर्षों तक विभाग द्वारा की जाएगी। 5% से अधिक शेष ब्याज दर पर ब्याज की प्रतिपूर्ति हितग्राही को स्वयं करनी होगी। मार्जिनमनी सहायता सामान्य वर्ग हेतु परियोजना लागत का 25%, अधिकतम राशि ` 1.50 लाख तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हेतु परियोजना लागत का 33%, अधिकतम राशि ` 2 लाख।

3.1.2 बड़े पशुओं का उत्प्रेरण

3.1.2.1 नन्दीशाला योजना

योजना का उददेश्य ग्रामीण क्षेत्रों की स्थानीय अवर्णित गौवंशीय पशुओं की नस्ल सुधार हेतु देशी वर्णित नस्ल के सांडों का प्राकृतिक गर्भाधान सेवाएं हेतु पशुपालकों को अनुदान आधार पर प्रदाय करना है। योजना प्रदेश के सामान्य, आदिवासी, विशेष घटक के लिए है। योजना ग्राम पंचायत स्तर पर प्रगतिशील पशुपालकों को अनुदान के आधार पर वर्णित नस्ल गौ–सांड यथा साहीवाल, थारपारकर, हरियाणा, गिर, गौलव, मालवी, निमाड़ी, केनकथा आदि प्रदाय किए जाते हैं। प्रदेश के बाहर की नस्ल के देशी वर्णित गौ सांड हेतु योजना की इकाई लागत का मूल्य (परिवहन एवं प्रदायित सांड के प्रथम 60दिवस के लिए पशु आहार सहित) राशि ` 25720 है जिसमें प्रति इकाई अनुदान 75% तथा हितग्राही अंशदान 25% निर्धारित है। तथा प्रदेश की नस्ल के गौसांड हेतु इकाई लागत राशि `18260 है जिसमें प्रति इकाई अनुदान 75% तथा हितग्राही अंशदान 25% निर्धारित है।

3.1.2.2 समुन्नत पशु प्रजनन कार्यक्रम (मुर्रा पाड़ा प्रदाय योजना)

योजना का उद्देश्य भैंसों में नस्ल सुधार करना है। ऐसे क्षेत्र जहां कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहां नस्ल सुधार हेतु उन्नत नस्ल के मुर्रा पाड़े

प्रदाय कर भैसों में प्राकृतिक गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु योजना प्रारम्भ की गई है। योजना प्रगतिशील पशुपालकों, प्रशिक्षित गौसेवक एवं सभी वर्ग के लिए मध्य प्रदेश के सभी जिलों में संचालित है। इस योजना की इकाई लागत राशि ` 62,000 है जिसमें 60,000 इकाई लागत एवं परिवहन तथा 2,000 बीमा शामिल है। सभी वर्गों को 75 प्रतिशत अनुदान एवं 25 प्रतिशत हितग्राही अंशदान का प्रावधान है।

3.1.3. छोटे पशुओं का उत्प्रेरण

3.1.3.1 बैंक ऋण एवं अनुदान पर बकरी इकाई

प्रदेश के सभी जिलों में बैक ऋण एवं अनुदान पर बकरी इकाई प्रदाय योजना संचालित है। योजना का उद्देश्य देशी बकरियों में नस्ल सुधार लाना, हितग्राहियों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना, तथा मांस एवं दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना है। योजनान्तर्गत 10 बकरी एवं 1 बकरे की इकाई प्रदाय की जाती है। योजना की लागत राशि ` 77456 है। योजना अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के लिए 60 प्रतिशत अनुदान तथा सामान्य वर्ग के लिए 40 प्रतिशत अनुदान एवं योजना की लागत राशि का 10 प्रतिशत अंशदान व शेष राशि हेतु बैंक ऋण का प्रावधान है।

3.1.3.2 अनुदान पर नर बकरा प्रदाय

अनुदान पर बकरा प्रदाय योजना का उददे्श्य देशी बकरियों में नस्ल सुधार लाना, हितग्राहियों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना, मांस तथा दुग्ध उत्पाद में वृद्धि करना है। यह योजना सभी वर्ग के बकरी पालको के लिए है। योजना की इकाई लागत राशि ` 8300 है जिसमें बकरे का मूल्य के साथ बीमा, टीकाकरण, मिनरल मिक्चर एवं कृमिनाशक सम्मिलित है। उन्नत नस्ल का नर बकरा सभी वर्ग के बकरी पालकों को 75 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराया जाता है।

3.1.3.3 अनुदान पर नर सूकर प्रदाय

अनुदान पर नर सूकर योजना का उद्देश्य देशी/ स्थानीय सूकरों की नस्ल में सुधार लाकर हितग्राहियों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना, तथा मांस उत्पादन में वृद्धि करना है। इस योजना की इकाई लागत राशि ` 5000 है योजना अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सूकर पालक को उन्नत नस्ल का एक नर सूकर 75 प्रतिशत अनुदान पर प्रदाय किया जाता है।

3.1.3.4 अनुदान पर सूकर त्रयी प्रदाय

अनुदान पर सूकर त्रयी योजना का उद्देश्य देशी/ स्थानीय सूकरों की नस्ल में सुधार लाकर हितग्राहियों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना एवं मांस उत्पादन में वृद्धि करना है। योजना की इकाई लागत राशि ` 15000 है योजना अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सूकर पालक को उन्नत नस्ल का एक नर सूकर एवं दो मादा सूकर 75 प्रतिशत अनुदान पर प्रदाय किया जाता है।

3.1.3.5 अनुदान पर बैकयार्ड कुक्कुट इकाई

अनुदान पर बैकयार्ड कुक्कुट इकाई योजना का उद्देश्य समस्त वर्ग के गरीब लोगों में पोषण स्तर में सुधार लाने तथा अतिरिक्त आय के स्त्रोत उपलब्ध कराना है। योजना में बिना लिंग भेद वाले 28 दिवसीय 40 लो इनपुट टेक्नोलॉजी के चूजे, औषधि व परिवहन व्यय सम्मिलित है। इस योजना की इकाई लागत राशि ` 2225 है जिसमें अनुदान 75 प्रतिशत हितग्राही अंशदान 25 प्रतिशत् है। यह योजना प्रदेश के समस्त जिलों में संचालित की जा रही है।

3.1.3.6 अनुदान पर कड़कनाथ चूजों का प्रदाय

योजनान्तर्गत समस्त वर्ग के गरीब हितग्राहियों को कुक्कुट पालन के माध्यम से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने तथा कड़कनाथ नस्ल के संरक्षण के साथ–साथ उनका पोषण स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से हितग्राहियों को बिना लिंग भेद के 28 दिवसीय 40 कड़कनाथ चूजे, खाद्यान्न व औषधि, परिवहन व्यय सहित प्रदाय किए जाते है। योजना की इकाई लागत राशि ` 4400 है जिसमें 75 प्रतिशत् अनुदान तथा हितग्राही अंशदान 25 प्रतिशत् है। यह योजना प्रदेश के समस्त जिलों में संचालित की जा रही है।

3.1.4 गौसेवक प्रशिक्षण योजना

योजना का मुख्य उद्देश्य शिक्षित बेरोजगार ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु सक्षम बनाना एवं सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक पशु चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराना है। योजनान्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में 10वीं उत्तीर्ण एक स्थानीय बेरोजगार युवक को छः माह का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षित गौसेवक अपने ग्राम पंचायत क्षेत्र में पशुओं को प्राथमिक उपचार प्रदान कर स्वरोजगार स्थापित करते हैं।

बारहवीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत प्रशिक्षण हेतु राशि ` 1000 प्रति माह के मान से छः माह हेतु राशि ` 6000 स्टायपेन्ड एवं राशि ` 1200 की किट, इस प्रकार कुल

राशि ` 7200 प्रति गौसेवक का प्रावधान है। योजना प्रारम्भ से माह दिसम्बर 2021 तक 22671 गौसेवकों को प्रशिक्षित किया गया।

3.1.5 आचार्य विद्या सागर जीव दया (गौसेवा) सम्मान योजना

3.1.5.1 योजना का उददेश्य

गौसेवा, गौसंरक्षण एवं जीवदया आदि के क्षेत्र में कार्य करने वाले संस्थानों एवं व्यक्तियों को प्रोत्साहन एवं सम्मान प्रदान करने हेतु आचार्य श्री विद्यासागर जीवदया सम्मान योजना संचालित है। योजना वर्ष में एक बार क्रियान्वित की जाती है, जिसके अन्तर्गत संस्थागत श्रेणी एवं व्यक्तिगत श्रेणी के पुरस्कार सम्मिलित किए गए हैं।

3.1.5.2 योजनान्तर्गत चयन प्रक्रिया एवं पुरस्कार विवरण

योजना के मापदण्डानुसार पात्र व्यक्तियों एवं संस्थानों के आवेदन जिला गोपालन एवं पशुधन संर्वधन समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। जिनमें से पात्र संस्थाओं एवं व्यक्तियों का चयन कर समिति द्वारा अनुशंसा कर प्रस्ताव मध्यप्रदेश गोपालन एवं पशुधन संर्वधन बोर्ड की ओर प्रेषित किए जाते है।

मध्यप्रदेश गोपालन एवं पशुधन संर्वधन बोर्ड की राज्य स्तरीय समिति द्वारा जिलों से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार उत्कृष्ट कार्य करने वालें संस्थानों एवं व्यक्तियों का संस्थागत श्रेणी एवं व्यक्तिगत श्रेणी के पुरस्कार हेतु चयन किया जाता है।

(अ) संस्थागत श्रेणी अन्तर्गत पुरस्कार

क्रं	पुरस्कार	पुरस्कार (राशि ` लाख में)
1.	प्रथम पुरस्कार	5.00
2.	द्वितीय पुरस्कार	3.00
3.	तृतीय पुरस्कार	2.00
4.	सांत्वना पुरस्कार (कुल 4) (` 50,000 प्रति पुरस्कार)	2.00

(ब) व्यक्तिगत श्रेणी अन्तर्गत पुरस्कार

क्रं	पुरस्कार	पुरस्कार (राशि ` लाख में)
1.	प्रथम पुरस्कार	1.00
2.	द्वितीय पुरस्कार	0.50
3.	तृतीय पुरस्कार	0.20

तालिका 3.1

हितग्राहीमूलक योजना के अन्तर्गत विगत तीन वर्षों की वित्तीय उपलब्धि

(राशि ` **लाख में)**

क्रं	योजना का नाम	वर्ष					
		2019—20		2020—21		2021—22 (माह 31 दिसम्बर 2021 तक)	
		प्राप्त	व्यय	प्राप्त	व्यय	प्राप्त	व्यय
1	वत्सपालन प्रोत्साहन योजना	413.78	287.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2	अनुदान पर सांड (मुर्रा पाड़ा) प्रदाय	392.51	375.64	154.51	146.81	106.65	85.50
3	नन्दीशाला योजना	126.35	115.74	21.02	18.08	57.30	74.84
4	अनुदान पर नर बकरा प्रदाय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	बैंक ऋण एवं अनुदान पर बकरी इकाई का प्रदाय	687.00	507.18	0.00	0.00	0.00	0.00
6	अनुदान पर सूकर त्रयी/नर सूकर का प्रदाय	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
7	अनुदान पर बैकयार्ड कुक्कुट इकाई का प्रदाय	273.55	109.85	135.62	113.95	54.16	54.16
8	अनुदान पर कड़कनाथ चूजों का प्रदाय	191.40	103.95	97.85	97.85	69.70	69.70
9	आचार्य विद्या सागर गौसंवर्धन योजना	2050.00	1607.00	820.00	820.00	820.00	524.78

नोटः—कोषालय से राशि आहरण ना हो पाने के कारण लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धि कम रही।

तालिका 3.2
हितग्राहीमूलक कार्यक्रम के अन्तर्गत विगत तीन वर्षों की भौतिक उपलब्धि

क्रं.	योजना का नाम	वर्ष					
		2019—2020		2020—2021		2021—2022 (माह 31 दिसम्बर 2021 तक)	
		लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति
1	वत्सपालन प्रोत्साहन योजना	2434	1692	0	0	0	0
2	अनुदान पर सांड (मुर्रा पाड़ा) प्रदाय	1163	1113	459	435	237	190
3	नन्दीशालाा योजना	655	600	109	94	297	248
4	अनुदान पर नर बकरा प्रदाय	0	0	0	0	0	0
5	बैंक ऋण एवं अनुदान पर बकरी इकाई प्रदाय	1798	1380	0	0	0	0
6	अनुदान पर सूकर त्रयी/नर सूकर का प्रदाय	25	25	0	0	0	0
7	अनुदान पर बैकयार्ड कुक्कुट इकाई का प्रदाय	16330	6582	8126	6827	3243	2780
8	अनुदान पर कड़कनाथ चूजों का प्रदाय	5800	3150	2925	2950	2112	1613
9	आचार्य विद्या सागर गौसंवर्धन योजना	663	550	0	165	313	300

नोटः— कोषालय से राशि आहरण ना हो पाने के कारण लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धि कम रही।

3.2 पशु चिकित्सा सेवाओं का विस्तार

योजनान्तर्गत 2 घटक संचालित हैः

3.2.1 पशु औषधालय का पशु चिकित्सालय में उन्नयन

योजना का मुख्य उद्देश्य पशुपालकों को गुणवत्तायुक्त पशु चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने हेतु पशु औषधालयों का पशु चिकित्सालयों में उन्नयन किया जाता है

योजना की इकाई लागत राशि ` 15.50 लाख है। जिसमें अधोसरंचना विकास हेतु राशि ` 8.60 लाख, फर्नीचर हेतु राशि ` 0.25 लाख, उपकरण हेतु राशि ` 0.50 लाख, औषधि प्रदाय हेतु राशि ` 0.25 लाख एवं वेतन–भत्ते हेतु राशि ` 5.90 लाख प्रावधानित है।

3.2.2 नवीन पशु औषधालय की स्थापना

योजनान्तर्गत पशुपालकों को कम दूरी पर पशु चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने हेतु नवीन पशु औषधालय की स्थापना की जाती है। योजना की इकाई लागत राशि ` 9.12 लाख जिसमें अधोसरंचना विकास हेतु राशि ` 6.60 लाख, फर्नीचर हेतु राशि ` 0. 20 लाख, उपकरण हेतु राशि ` 0.25 लाख, औषधि प्रदाय हेतु राशि ` 0.15 लाख एवं वेतन–भत्ते हेतु राशि ` 1.92 लाख प्रावधानित है।

3.3 पशु संजीवनी 1962

पशुपालकों को घर पहुँच पशु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु ''पशु संजीवनी 1962'' योजना प्रारम्भ की गई है। योजनान्तर्गत राज्य स्तरीय कॉल सेन्टर टॉल फ्री दूरभाष नम्बर ''1962'' के साथ स्थापित किया गया है। प्रदेश के समस्त 313 विकासखण्डों के दूरस्थ ग्रामीण अंचलों में कॉल सेन्टर पर प्राप्त सूचनाओं के आधार पर विभागीय अमले द्वारा निश्चित समयावधि में घर पहुॅच पशु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। उपरोक्त सुविधा अन्तर्गत पशुपालकों को कॉल करने पर घर पहुँच पशु चिकित्सा, कृत्रिम गर्भाधान सुविधा, विभागीय योजनाओं की जानकारी एवं पशुपालन संबंधित उन्नत तकनीकों के संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाता है।

3.4 भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला की स्थापना

भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला वर्ष 2013 मार्च में प्रारम्भ की गई। राज्य शासन द्वारा आयोजना मद से 12वीं पंचवर्षीय योजना काल के लिए भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीकि प्रयोगशाला भदभदा भोपाल की स्थापना हेतु कुल राशि ` 10.00 करोड़ की परियोजना स्वीकृत की गई थी। इस भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीकि प्रयोगशाला की स्थापना का उद्देश्य उच्च अनुवांशकीय गुणवत्ता वाली गाय से उसके सम्पूर्ण प्रजनन काल में अधिक से अधिक संतति प्राप्त करना, अधिक उत्पादन वाले पशुओं की संख्या में तेजी से वृद्धि कर दुग्ध उत्पादन बढ़ाना, केन्द्रीय वीर्य संस्थान के द्वारा गायों की नस्ल सुधार के लिए हिमीकृत वीर्य उत्पादन हेतु उच्च अनुवांशिक क्षमता के साड़ों का उत्पादन, गाय की देशी नस्लों का संरक्षण एवं संवर्धन, प्रजनन की चयन पद्धति से देशी दुधारु गायों की नस्ल साहीवाल एवं गिर नस्ल में उन्नयन कर दुग्ध उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना। इसके अतिरिक्त इस तकनीक द्वारा उच्च गुणवत्ता वाली डोनर

गायों को चयनित कर हारमोन्स की मदद से सुपर ओवूलेट किया जाता है तत्पश्चात उच्च अनुवांशिक क्षमता वाले सांड़ के हिमीकृत वीर्य द्वारा उसका गर्भाधान कराया जाता है। गर्भाधान के सातवें दिन गर्भाशय से भ्रूण निकाले जाकर रेशीपियंट गायों में प्रत्यारोपित कर दिए जाते हैं अथवा हिमीकृत कर सुरक्षित कर दिए जाते हैं। प्रयोगशाला पर वर्ष 2021–22 माह दिसम्बर 2021 तक 82 भ्रूण संकलित तथा 71 भ्रूण प्रत्यारोपित किए गए तथा 12 वत्सों का उत्पादन हुआ।

3.5 पशु आश्रय स्थल आसरा

निराश्रित पशुओं को उपचार व आश्रय उपलब्ध कराने के उददेश्य से पशु आश्रय स्थल आसरा भोपाल में ''आसरा'' के नाम से यह योजना प्रारम्भ की गई है।

आसरा के उद्देश्य

(i) घायल बीमार निराश्रित पशु पक्षियों को प्रतिकूल वातावरण जैसे तेज धूप, गर्म हवा, बरसात से बचा कर सुरक्षित रखने की व्यवस्था एवं उनके खान–पान तथा उचित उपचार की व्यवस्था जब तक वे पूर्ण रूप से स्वस्थ न हो जाए।

(ii) घायल पशु–पक्षियों को जंगली एवं हिसंक जानवरों से सुरक्षा कर आश्रय देना।

(iii) उपयोगी बेसहारा पशु पक्षियों को पूर्णतः स्वस्थ होने के उपरान्त स्वयं सेवा संस्थाओं, इच्छुक पशुपालकों को उनकी स्वेच्छा से रखने की स्थिति में उन तक पहुॅचना जिससे उनकी उपयोगिता सिद्ध हो सके।

(iv) पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के अनुपालन में सहयोग करना।

(v) एंटीरेबीज टीकाकरण कार्यक्रम का प्रचार–प्रसार तथा सहयोग।

(vi) जागरूकता शिविरों का आयोजन ।

(vii) बड़े पशुओं का टीकाकरण सुनिश्चित करने हेतु प्रोत्साहित करना।

(viii) पशु–पक्षियों के कल्याण हेतु अन्य ऐसे सभी कार्यो को जो उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति कर सके।

(ix) पशु आश्रय स्थल की गतिविधियों का प्रचार–प्रसार करना।

(x) छोटे पशु (श्वानों) के लिए जन्म नियंत्रण कार्यक्रम प्रोत्साहित करना साथ ही नगर निगम के सहयोग से श्वानों की नसबंदी एवं एंटीरैबीज का टीकाकरण भी किया जाता है, ताकि क्षेत्र को रैबीज रोग से मुक्त रखा जा सके।

3.6 पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय

प्रदेश में पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना 3नवम्बर 2009 को जबलपुर में की गई थी।इस विश्वविद्यालय अन्तर्गत पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय जबलपुर महू एवं रीवा आते हैं। कुक्कुट प्रक्षेत्र जबलपुर एवं वृषभ पालन केन्द्र आमानाला जबलपुर जो कि पहले पशुपालन विभाग के अन्तर्गत आते थे उन्हे पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय को हस्तान्तरित किया गया है। विश्वविद्यालय अन्तर्गत तीनों महाविद्यालयों में

बी.व्ही.एस.सी एण्ड ए.एच की स्नातक डिग्री प्रदाय की जाती है तथा पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय जबलपुर एवं महू में एम.व्ही.एस.सी एण्ड ए.एच की स्नातकोत्तर डिग्री प्रदाय की जाती है। वर्ष 2011–12 से विश्वविद्यालय द्वारा जबलपुर महू, रीवा, भोपाल में तथा मुरैना में डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया गया है।

3.7 केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं

3.7.1 संशोधित राष्ट्रीय पशुधन मिशन (National Livestock Mission)–2021

नवीन राष्ट्रीय पशुधन मिशन–2021 अंतर्गत मुख्यतः पशु नस्ल विकास, रोजगार सृजन प्रति पशु उत्पादकता में वृद्धि, निर्यात तथा उद्यमिता विकास की 14 गतिविधियों को शामिल कर तीन उप मिशन निम्नानुसार बनाए गए हैं।

(i) पशुधन एवं कुक्कुट के नस्ल विकास पर एवं उप मिशन (9 गतिविधियाँ)
(ii) चरी–चारा विकास उप मिशन (2 गतिविधियाँ)
(iii) इनोवेशन तथा विस्तार (3 गतिविधियाँ)

योजना के घटक उद्यमिता विकास अंतर्गत ग्रामीण कुक्कुट पालन, भेड व बकरी पालन, सूकर पालन, साइलेज उत्पादन, फोडर ब्लॉक तथा टोटल मिक्सड राशन के उत्पादन हेतु ऋण एवं अनुदान का प्रावधान है। इच्छुक हितग्राहियों/ उद्यमियों को बैंकों से ऋण उपलब्ध कराते हुए 50 प्रतिशत केपिटल सब्सिडी का प्रावधान है। यह अनुदान राशि उद्यमियों को समान 2 किस्तों में प्रदाय की जाएगी। पहली किस्त बैंक द्वारा ऋण उपलब्ध कराने पर तथा दूसरी किस्त परियोजना पूर्ण होने पर भारत सरकार द्वारा सिडबी बैंक के माध्यम से सीधे ऋणदाता बैंक को उपलब्ध कराई जाएगी।

योजना का लाभ लेने हेतु हितग्राही को nlm.udyamimitra.in पोर्टल द्वारा ऑनलाईन आवेदन करना होगा जिसके लिए राज्य के पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा ''रूचि की अभिव्यक्ति'' जारी कर हितग्राहियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं। योजना में स्व वित्त पोषण की भी व्यवस्था है जिसमें हितग्राही को परियोजना के बुनियादी ढांचे के लिए लागत का 25 प्रतिशत खर्च किया जाना आवश्यक है तथा 50 प्रतिशत अनुदान राशि को छोडकर परियोजना की शेष लागत के लिए 3 साल के लिए वैद्य अनुसूचित बैंक से बैंक गारंटी प्रदान करना आवश्यक है।

तालिका 3.3

योजनांतर्गत विभिन्न गतिविधियों की इकाई लागत एवं अनुदान निम्नुसार है–

क्र.	गतिविधि का नाम	इकाई लागत (सांकेतिक)	अधिकतम अनुदान राशि (राशि ` लाख में)
1	एल.आई.टी पेरेंट पक्षियों का फार्म, हैचरी तथा मदर यूनिट की संयुक्त	34.73	25.00

	इकाई		
2	500+25 वाली बकरी इकाई	87.30	50.00
3	100+20 वाली सूकर इकाई	50.30	30.00
4	चारा विकास 1. सायलेज 2. फॉडर ब्लॉक बनाना	 50.00 85.00	 50.00

पात्रता :– योजना के घटक उद्यमिता विकास अंतर्गत व्यक्तिगत, स्वंय सहायता समूह, किसान उत्पादक संगठन, किसान सहकारिता संगठन, धारा 8 कंपनियां लाभ लेने हेतु पात्र है। पात्र हितग्राही के पास स्वयं/लीज़ की भूमि के.वाई.सी. डॉक्यूमेंट, अनुभव/प्रशिक्षण प्रमाण पत्र तथा बैंक की सहमति होना अनिवार्य है।

उद्यमी मित्र पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन करने की बिन्दूवार प्रक्रिया निम्नानुसार होगी–

- हितग्राही nlm.udyamimitra.in पर जाकर ऑनलाईन आवेदन भरेगा तथा चाहे गए आवश्यक दस्तावेज अपलोड करेगा।
- यह आवेदन विभाग द्वारा परीक्षण उपरांत बैंक को फॉरवर्ड किया जायेगा।
- बैंक द्वारा सभी दस्तावेजों का परीक्षण करने के उपरांत सही पाए जाने पर ऋण हेतु प्रकरण स्वीकृत करते हुए स्वीकृति आदेश जारी करेगा।
- बैंक द्वारा स्वीकृति आदेश जारी किए जाने के पश्चात् विभाग द्वारा ऐसे समस्त प्रकरणों की अभिस्वीकृति राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति (एस.एल.ई.सी.) में प्राप्त कर सभी प्रस्ताव अनुदान की स्वीकृति हेतु भारत सरकार को ऑनलाईन अग्रेषित करेगा।
- भारत सरकार द्वारा एस.एल.ई.सी. से स्वीकृत उक्त सभी प्रस्तावों पर नियमानुसार अनुदान राशि जारी कर सीधे ऋण स्वीकृतकर्ता बैंक को भेजेगी।
- भारत सरकार से अनुदान राशि प्राप्त होने पर बैंक द्वारा ऋण वितरण की कार्यवाही की जाऐगी।

3.7.2 **राष्ट्रीय पशुधन मिशन के उद्देश्य :–**

3.7.2.1 छोटे जुगाली करने वाले (small ruminants), कुक्कुट पालन और सूकर पालन क्षेत्र और चारा क्षेत्र में उद्यमिता विकास के माध्यम से रोजगार सृजन।

3.7.2.2 नस्ल सुधार के माध्यम से प्रति पशु उत्पादकता में वृद्धि।

3.7.2.3 मांस, अंडा, बकरी का दूध, ऊन और चारे के उत्पादन में वद्धि।

3.7.2.4 चारा बीज आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने और प्रमाणित चारा बीज की उपलब्धता के माध्यम से मांग को काफी हद तक कम करने के लिए चारे और फीड की उपलब्धता बढ़ाना ।

3.7.2.5 मांग आपूर्ति के अंतर को कम करने के लिए चारा प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित करना।

3.7.2.6 किसानों के लिए पशुधन बीमा सहित जोखिम प्रबंधन उपायों को बढ़ावा देना।

3.7.2.7 मुर्गी पालन, भेड़, बकरी, चारा और चारा के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अनुप्रयुक्त अनुसंधान को बढ़ावा देना।

3.7.2.8 किसानों को गुणवत्तापूर्ण विस्तार सेवा करने के लिए सुदृढ़ विस्तार मशीनरी के माध्यम से राज्य के पदाधिकारियों और पशुपालकों का क्षमता निर्माण।

3.7.2.9 उत्पादन लागत को कम करने और पशुधन क्षेत्र के उत्पादन में सुधार के लिए कौशल आधारित प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकियों के प्रसार को बढ़ावा देना।

3.7.1.1 राष्ट्रीय पशुधन मिशन ग्रामीण बैकयार्ड कुक्कुट विकास योजना

भारत सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले समस्त वर्गों के हितग्राहियों के लिए 100 प्रतिशत अनुदान पर यह योजना वर्ष 2010–11 से मध्यप्रदेश में प्रारम्भ की गई है। वर्ष 2016–17 से यह योजना 60 प्रतिशत् केन्द्रांश व 40 प्रतिशत् राज्यांश पर संचालित की जा रही है। योजना की इकाई लागत् राशि ` 3,750 है।

योजनान्तर्गत प्रत्येक हितग्राही को बिना लिंग भेद के 4 सप्ताह के लो इनपुट टेक्नॉलोजी वाले 45 पक्षी दो चरणों में क्रमशः 25 व 20 चूजे 16 सप्ताह के अन्तराल से मदर यूनिट के माध्यम से प्रदाय किए जाते हैं। साथ ही पक्षियों के लिए दढ़बा बनाने हेतु राशि `1,500 दिए जाने का प्रावधान है जो सीधे हितग्राही के खाते में जमा किए जाते हैं।

एक मदर यूनिट से 300 हितग्राहियों को चूजे प्रदाय किए जाते है मदर यूनिट के हितग्राही को राशि ` 60,000 अनुदान दिए जाने का प्रावधान है जो सीधे उनके खाते में जमा किया जाता है। मदर यूनिट के हितग्राही को 4 सप्ताह के चूजों की राशि ` 50 प्रति चूजा का भुगतान उनके द्वारा चूजे बी.पी.एल. हितग्राहियों को प्रदाय उपरान्त जिले के उप संचालक द्वारा किया जाता है।

तालिका 3.4

राष्ट्रीय पशुधन मिशन –ग्रामीण बैकयार्ड कुक्कुट विकास के अन्तर्गत वित्तीय उपलब्धि

(राशि ` लाख में)

क्रं.	योजना का नाम	वर्ष					
		2019–20		2020–21		2021–22 (माह दिसम्बर 2021 तक)	
		प्राप्त	व्यय	प्राप्त	व्यय	प्राप्त	व्यय
1	राष्ट्रीय पशुधन मिशन – ग्रामीण बैकयार्ड कुक्कुट विकास	758.14	567.14	936.08	536.71	879.25	137.27

नोटः– कोबिड 19 के कारण लक्ष्य के विरुद्व व्यय कम रहा।

तालिका 3.5

राष्ट्रीय पशुधन मिशन–ग्रामीण बैकयार्ड कुक्कुट विकास योजना अन्तर्गत भौतिक उपलब्धि

(राशि ` लाख में)

क्रं.	योजना का नाम	वर्ष					
		2019–20		2020–21		2021–22 (माह दिसम्बर 2020 तक)	
		लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति
1	राष्ट्रीय पशुधन मिशन – ग्रामीण बैकयार्ड कुक्कुट विकास	33600	25206	31490	12405	39077	6101

नोटः– कोबिड 19 के कारण लक्ष्य के विरुद्व व्यय कम रहा।

3.7.1.2 रिस्क मैनेजमेंट एवं पशुधन बीमा

योजना का उद्देश्य पशुपालकों को उनके पशुओं हेतु बीमे की सुविधा प्रदान कर, दुधारू/गैर–दुधारू पशुओं की मृत्यु से होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति करना एवं होने वाली आर्थिक हानि को रोकना है। योजना का क्रियान्वयन मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम द्वारा किया जा रहा है।

भारत सरकार वर्ष 2014–15 से योजना को रिस्क मैनेजमेंट के रुप में राष्ट्रीय पशुधन मिशन (National Livesstock Mission) में शामिल किया गया है जिसमें प्रदेश के समस्त जिले सम्मिलित हैं। योजनांतर्गत सभी प्रकार के पशुओं का बीमा (दुधारू देशी/संकर गाय व भैंस, अन्य पशु जैसे घोडा, गधा, ऊँट, नर गौवंश व भैंसवंश, बकरी, भेड़, सूकर, खरगोश आदि पशुओं का बीमा कर लाभान्वित किए जाने का प्रावधान है। अब यह योजना गरीबी रेखा से ऊपर वाले हितग्राहियों हेतु केद्रांश 25 प्रतिशत, राज्यांश 25 प्रतिशत एवं 50 प्रतिशत हितग्राही अंशदान से तथा अनुसूचित जाति, जनजाति, गरीबी रेखा से नीचे वाले हितग्राहियों हेतु केद्रांश 40 प्रतिशत, राज्यांश 30 प्रतिशत एवं हितग्राही अंशदान 30 प्रतिशत पर संचालित की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2014–15 में 11168, वर्ष 2015–16 में 37486, वर्ष 2016–17 में 59113, वर्ष 2017–18 में 38219, वर्ष 2018–19 में 52908, वर्ष 2019–20 में 52704 एवं वर्ष

2020–21 में 30214 एंव वर्ष 2021–22 में 49159 (माह दिसम्बर 2021 तक) पशुओं का बीमा किया गया है।

3.7.2 एकीकृत नमूना सर्वेक्षण

यह योजना केन्द्रांश व राज्यांश के 50:50 के अनुपात में वित्त पोषित है। इस योजनान्तर्गत एकीकृत नमूना सर्वेक्षण के आधार पर दूध, अण्डा, ऊन व मांस जैसे प्रमुख पशुधन उत्पादों के उत्पादन का आंकलन किया जाता है। भारत सरकार के निर्देशानुसार पशुधन उत्पाद का आंकलन ऋतुवार तथा वार्षिक आधार पर किया जाता है।

3.7.3 पशुधन स्वास्थ्य

केन्द्र व राज्य शासन के कमशः 60:40 के अनुपात में वित्तीय प्रबन्ध के आधार पर यह योजना संचालित है। इस योजनान्तर्गत आर्थिक रुप से महत्वपूर्ण पशुधन व कुक्कुट रोगों के नियंत्रण के लिए टीकाकरण, पशु स्वास्थ्य एवं जैविक उत्पाद संस्थान, पशु रोग अनुसंधान प्रयोग शालाओं के सुदृढ़ीकरण, पशु चिकित्सा संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण विभिन्न संक्रामक बीमारियों के नियंत्रण हेतु कार्यक्रम, पशु चिकित्सकों व पैरावेट को सेवाकालीन प्रशिक्षण का प्रावधान आदि रहता है। इस योजना के निम्नलिखित घटक हैं:

3.7.3.1 पशु रोगों के नियंत्रण हेतु राज्यों को सहायता

3.7.3.2 व्यवसायिक दक्षता कार्यक्रम

3.7.3.3 पशु चिकित्सालयों, औषधालयों की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण, चलित पशु चिकित्सा ईकाई

3.7.3.4 पी.पी.आर. नियंत्रण कार्यक्रम

3.7.3.5 मातामहामारी के सर्वेक्षण एवं मॉनीटरिंग हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम

3.7.3.6 एन.ए.डी.आर.एस.

3.7.4 राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम

राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम भारत शासन की 100 प्रतिशत सहायता से चलाए जा रहे है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत एफ.एम.डी. एवं ब्रूसेला नियंत्रण हेतु शत्–प्रतिशत् पशुओं का टीकाकरण किया जाता है साथ ही इन सभी पशुओं में Ear Tag आवश्यक रूप से लगाए जा रहे हैं।

3.7.4.1 एफ.एम.डी. नियंत्रण कार्यक्रम

3.7.4.2 ब्रूसेला नियंत्रण कार्यक्रम

3.7.5 पशु संगणना

केन्द्रीय क्षेत्रीय योजनान्तर्गत मध्यप्रदेश राज्य में 20वीं पशु संगणना भारत सरकार के निर्देशन में सम्पन्न की गई एवं भारत सरकार द्वारा 20वीं पशु संगणना के अनन्तिम आंकड़े अधिसूचित किए गए।

20वीं पशु संगणना रहवासीवार/गैर रहवासीवार तथा नस्लवार पशुधन एवं कुक्कुट तथा पशुपालन क्षेत्र के उपयोग में लाए जाने वाले कृषि उपकरण व मत्स्यपालन सांख्यिकी की गणना की गई है।

3.7.6 बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज

बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज के अन्तर्गत 6 जिलों क्रमशः सागर, दमोह, टीकमगढ, छतरपुर, पन्ना, दतिया सम्मिलित किए गए हैं। बुन्देलखण्ड क्षेत्र के पशुपालको को लाभान्वित एवं रोजगार उपलब्ध कराने हेतु डेयरी विकास कार्यक्रम एवं नस्ल सुधार कार्यक्रम जैसे कार्यो को लिया गया है। भारत सरकार से प्रथम चरण में ए.सी.ए. (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) घटक में राशि ` 80.70 करोड़ विभाग को प्राप्त हुए हैं जिसका शत्–प्रतिशत उपयोग किया गया है।

इसी प्रकार बारहवीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज के द्वितीय चरण में विभाग हेतु राशि ` 80 करोड़ की योजनाएं भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कर विमुक्त की गई है। योजनान्तर्गत द्वितीय चरण की पूर्ण राशि ` 80.00 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।

तालिका 3.6
बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज के अन्तर्गत प्रगति

प्रथम चरण

क्रं.	गतिविधि	भौतिक लक्ष्य	भौतिक प्रगति	उपलब्धि प्रतिशत
1	म0प्र0राज्य सहकारी दुग्ध संघ द्वारा डेयरी डेवलपमेंट एक्टीविटी–			
	डेयरी सोसाइटी का गठन	500	561	
	बल्क मिल्क कूलर	9	14	100
	डेयरी प्लांट का सुदृढ़ीकरण	1	1	
	सदस्यता	15000	17664	
	दुग्ध संकलन किग्रा/दिन	25000	28042	
2	मुर्रा सांड प्रदाय	2403	2403	100
3	बकरी इकाई प्रदाय	5296	5296	100
4	फॉडर बैंक की स्थापना	3	3	100

5	मिनौरा जिला टीकमगढ में बकरी प्रक्षेत्र की स्थापना	1	1	100
6	एन.जी.ओ के माध्यम से पशुधन विकास केन्द्रों की स्थापना	111	111	100
7	म.प्र.राज्य सहकारी दुग्ध संघ द्वारा पशु आहार संयंत्र की स्थापना तथा दुग्ध उत्पाद के विपणन कार्य	1	संयंत्र संचालित	100

बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज के अन्तर्गत प्रगति

द्वितीय चरण

क्रं.	गतिविधि	भौतिक प्रगति	रिमार्क
1	म0प्र0राज्य सहकारी दुग्ध संघ द्वारा डेयरी डेवलपमेंट एक्टीविटी (प्रथम चरण में गठित समितियों का सुदृढ़ीकरण, अनुश्रवण, प्रशिक्षण) समिति सचिव टैस्टर पशु स्वास्थ्य रक्षक प्रशिक्षण 138 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों में गर्भाधान चैफ कटर वितरण स्वास्थ्य शिविर डेयरी प्लांट का सुद्ढ़ीकरण	 561 561 138 206831 3320 840 1	गतिविधि पूर्ण
2	रतौना जिला सागर में तरल नत्रजन संयंत्र की स्थापना	1	संयंत्र स्थापित, तरल नत्रजन उत्पादन एवं वितरण बुन्देलखण्ड क्षेत्र के 6 जिलों में किया जा रहा है।
3.	रतौना जिला सागर में कृषक एवं कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना	1	पूर्ण
4.	मुर्रा नर वत्स संगोपन इकाई की स्थापना (रतौना जिला सागर,मिनौरा जिला टीकमगढ़ एवं दतिया में)	2283	2283 संगोपित मुर्रा नर प्रदाय, रतौना एवं मिनौरा में निर्माण कार्य पूर्ण।
5.	ट्रेविस एवं शेड की स्थापना (1000 पंचायतों में)	973 पूर्ण	शेष 27 पंचायतों में कार्य निर्माणाधीन
6.	दतिया जिले में सीमेन स्टेशन की स्थापना	1	कार्य पूर्ण

7.	त्वरित चारा विकास कार्यक्रम	16504 हेक्टेयर	16504 हेक्टेयर में चारा उत्पादन कार्यक्रम

3.7.7 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

तालिका 3.7
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की विगत तीन वर्षो की वित्तीय स्थिति

(राशि ` करोड में)

विवरण	2019–20	2020–21	2021–22 (माह दिसम्बर 2021 तक)
एस.एल.एस.सी. द्वारा स्वीकृत	111.54	0	56.23
पशुपालन विभाग को विमुक्त राशि	105.00	0	20.00
व्यय	150.00	0	13.87
शेष	**0.00**	**0**	**6.13**

नोट– वर्ष 2020–21 में वर्ष 2019–20 के स्वीकृत प्रस्तावों का पुर्नवैधीकरण प्राप्त कर व्यय किया गया था।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत वर्ष 2021–22 के लिये स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण निम्नानुसार है–

3.7.7.1 भोपाल दुग्ध संघ परिसर में दुग्ध उत्पाद्.भवन का निर्माण

इस परियोजना की कुल लागत राशि ` 1200.00 लाख है जिसमें दुग्ध संघ द्वारा 50 प्रतिशत की राशि ` 600.00 लाख तथा केन्द्र सरकार द्वारा राशि ` 600.00 लाख वहन किया जाएगा। परियोजना का मुख्य उद्देश्य डेयरी परिसर में दुग्ध उत्पाद् हेतु भवन निर्माण करते हुए आवश्यक अधोसंरचना जैसे रेफ्रिजरेशन प्रणाली, कोल्ड रूम कंडेशनर, कम्प्रेशर, बटर पैकिंग मशीन, स्टोरेज टैंक आदि सम्मिलित कर सांची ब्रांड के दुग्ध उत्पाद् श्रृंखला निर्मित करने पर केन्द्रित है।

परियोजना के माध्यम से 79241 दुग्ध उत्पादक के साथ–साथ लगभग 20 लाख शहरी उपभोक्ता लाभान्वित होंगे।

3.7.7.2 इंदौर में 1000 मेट्रिक टन क्षमता का मक्खन भण्डारण हेतु कोल्ड

स्टोरेज का निर्माण

इस परियोजना की कुल लागत राशि ` 500.00 लाख है जिसमें दुग्ध संघ द्वारा 50 प्रतिशत की राशि ` 250.00 लाख तथा केन्द्र सरकार द्वारा राशि ` 250.00 लाख वहन किया जाएगा। परियोजना का मुख्य उद्देश्य डेयरी परिसर में 1000 मेट्रिक टन क्षमता का मक्खन भण्डारण हेतु इंदौर में कोल्ड स्टोर निर्मित करने पर केंद्रित है। इसके साथ–साथ परियोजना के अन्तर्गत सिवल कार्य, विद्युतीकरण, मल्टीस्टोरी ट्रेक, रेफ्रिजरेशन प्रणाली, 100 के.वी.ए. डीजी सेट, हार्ड पाक्र आदि कार्य सम्मिलित है।

परियोजना के माध्यम से 1548 दुग्ध सहकारी समितियों से जुड़े 61000 दुग्ध उत्पादक सदस्य के साथ–साथ लगभग 4.50 लाख शहरी उपभोक्ता लाभान्वित होंगे।

3.7.7.3 उज्जैन दुग्ध संयंत्र का सुदृढ़ीकरण

इस परियोजना की कुल लागत ` 493 लाख है, जिसमें दुग्ध संघ द्वारा 50 प्रतिशत की राशि ` 246.50 लाख तथा केन्द्र शासन द्वारा ` 246.50 लाख वहन किया जायेगा। परियोजना का मुख्य उद्देश्य उज्जैन डेयरी का सुदृढीकरण 10 के एल प्रति घंटा क्षमता का मिल्क होमोजनाईजर तथा 15 के एल प्रति घंटा क्षमता का क्रीम सेपरेटर स्थापित कर किया जाना है। इसके माध्यम से दुग्ध संघ द्वारा आकास्मिक परिस्थितियों तथा फ्लश सीजन में अत्याधिक दूध की मात्रा को व्यवस्थित रूप से संचालित करते हुए वांछिक सहयोग प्राप्त होगा। इस परियोजना की आवश्यकता डेयरी संयत्रं में पूर्व से संचालित पाश्चुराईजर अत्यधिक पुराना होकर दैनिक संचालन में व्यवधान उत्पन करने के कारण नवीन उपकरण स्थापित करना है।

परियोजना के माध्यम से लगभग 7000 हजार दुग्ध उत्पादक के साथ–साथ लगभग 96 हजार शहरी उपभोक्ता लांभान्वित होंगे।

3.7.7.4 रीवा में 20,000 ली. प्रतिदिन क्षमता के नवीन डेयरी संयंत्र की स्थापना

इस परियोजना की कुल लागत ` 350.07 लाख है, जिसमें दुग्ध संघ द्वारा 50 प्रतिशत की राशि ` 175.03 लाख तथा केन्द्र शासन द्वारा ` 175.04 लाख वहन किया जायेगा। वर्ष 2016–18 की अवधि में इस परियोजना के प्रथम चरण में रू. 360 लाख परियोजना क्रियान्वयन हेतु उपलब्ध कराये गये थें। वर्ष 2020–21 में इस परियोजना के द्वितीय चरण में ` 350.07 लाख की राशि परियोजना क्रियान्वयन हेतु स्वीकृत की गई है।

परियोजना का मुख्य उद्देश्य रीवा जिले में 20 हजार लीटर प्रतिदिन क्षमता का नवीन डेयरी संयत्रं स्थापित करना है। पूर्व परियोजना के तहत शेष गतिविधियों यथा दुग्ध प्रसंस्करण इकाई, सीआईपी प्रणाली, रेफ्ररेजेशन प्रणाली, विद्यृतिकरण, ईटीपी तथा आवश्यक उपकरण को स्थापित किये जाने पर केन्द्रित है।

परियोजना के माध्यम से 4200 दुग्ध उत्पादक सदस्य के साथ–साथ शहरी उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। इसके अतिरिक्त परिसर के आसपास प्रदूषण रहित वातावरण निर्मित कर शहरी उपभोक्ताओं को साँची ब्रांड के दूध एंव दुग्ध उत्पाद उपलब्ध कराए जाएंगे।

3.7.7.5 शिवुपरी जिले में नवीन बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र की स्थापना

योजना की कुल लागत 694.39 लाख है। वित्त वर्ष 2020–21 में इस योजना के तहत स्वीकृत राशि ` 284.00 लाख से प्रथम चरण में बकरियों के लिए शेड का निर्माण, पेयजल की व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था एवं चारागाह विकास का कार्य प्रस्तावित है। योजना के तहत 2000 जमुनापारी बकरिया एवं 200 जमनापारी बकरे क्रय किए जाकर नस्ल सुधार कार्यक्रम किया जाएगा।

3.7.7.6 झाबुआ जिले में स्थापित कड़कनाथ कुक्कुट प्रक्षेत्र एवं छिन्दवाड़ा, शहडोल, सागर, गुना, ग्वालियर, रीवा जिले में स्थापित कुक्कुट प्रक्षेत्रो का सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण

इस योजना की कुल लागत 202.00 लाख है। योजना के तहत झाबुआ जिले में स्थापित कड़कनाथ कुक्कुट प्रक्षेत्र एवं छिन्दवाड़ा, शहडोल, सागर, गुना, ग्वालियर, रीवा जिले में स्थापित कुक्कुट प्रक्षेत्रो का सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण का कार्य प्रस्तावित है। योजना के तहत कुक्कुट प्रक्षेत्रों में नवीन हैचर/सेटर की स्थापना, आटोमेटेड फीड यूनिट की स्थापना, आटोमेटेड वाटर यूनिट की स्थापना आदि कार्य किए जाएंगे।

3.7.7.7 निवाड़ी जिले में नवीन पॉलीक्लिनिक की स्थापना

योजना की कुल लागत 100.00 लाख है। योजना के तहत नवीन जिला निवाड़ी में आधुनिक पशु चिकित्सा सुविधाओं से युक्त पॉलीक्लिनिक की स्थापना की जानी है। योजना के तहत ` 60.00 लाख भवन निर्माण, ` 30.00 लाख आधुनिक उपकरणों आदि की स्थापना, ` 10.00 लाख पेथोलाजी लेब की स्थापना हेतु स्वीकृत किए गए है।

3.7.7.8 सांडो में बधियाकरण कार्यक्रम

प्रदेश में निकृष्ट सांडो की संख्या गांव–गांव में विद्यमान है जिससे मादा पशुओं का प्रजनन इनके द्वारा होता रहता है। फलस्वरूप कम उत्पादक क्षमता वाले संतति उत्पन्न होने से दुग्ध उत्पादन कम होता है। प्रदेश में पशुओं के नस्ल सुधार को दृष्टिगत रखते हुए निकृष्ट सांडो के बधियाकरण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ताकि मादा पशुओं का प्रजनन निकृष्ट सांडो (जिनकी उत्पादक क्षमता बहुत ही कम है) से रोका जा सके। RKVY अन्तर्गत बधियाकरण का एक प्रोजेक्ट भी स्वीकृत हुआ है, योजना की स्वीकृत लागत 1200.00 लाख रूपये है। योजना के तहत प्रदेश के समस्त जिलो में कार्यक्रम चलाया जाकर लगभग 12 लाख निकृष्ट सांडो का बधियाकरण किया जाएगा। योजना के तहत गौसेवक/मैत्री/कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं आदि को प्रति बधियाकरण ` 75 मानदेय के

रूप में दिए जायेंगे तथा औषधियों हेतु ` 25 का प्रावधान है। बधियाकरण का डाटा इनाफ पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।

3.7.7.9 राज्य स्तरीय प्रशिक्षण का सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण

योजना की कुल लागत 202.05 लाख है। योजना के भोपाल में स्थापित राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान में स्मार्ट क्लॉस रूम की स्थापना एवं डिमोस्टेशन लेबोरेटरी बिल्डिग का सुदृढ़ीकरण प्रस्तावित है।

3.7.7.10 प्रदेश में स्थापित कम उत्पादक डेयरियों में साइलेज बनाने की मशीनों की स्थापना

योजना की कुल लागत 100.00 लाख है। योजना के तहत प्रदेश में स्थापित कम उत्पादक डेयरीयों में से कुल 50 डेयरीयों में साइलेज बनाने की मशीनों की स्थापना 50 प्रतिशत अनुदान पर की जाएगी। इस योजना की इकाई लागत ` 4.00 लाख है। जिसमें से ` 2.00 लाख हितग्राही अंशदान एवं ` 2.00 लाख अनुदान के रूप में देय होंगे।

3.7.7.11 नेशनल कामधेनू ब्रीडिंग सेंटर, कीरतपुर (इटारसी) में अतिरिक्त अधोसंरचना का विकास

भारत सरकार के वित्तीय सहयोग से कीरतपुर, इटारसी में नेशनल कामधेनू ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना की गई है। भारत सरकार के निर्देशानुसार ही उक्त केन्द्र पर Construction of additional infrastructure (Peripheral) के तहत बायोगैस संयंत्र की स्थापना, पशु औषधालय, कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा, प्रशासनिक भवन, वर्षा के पानी को संरक्षित करने हेतु तालाब का निर्माण आदि गतिविधियां ली गई है। केन्द्र का उद्देश्य भारतीय गौ–भैंसवंशीय नस्लों का संरक्षण एवं संवर्धन, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि, भारतीय नस्लों का अनुवांशिक उन्नयन, कृषकों एवं संस्थानों को Elite प्रमाणिकता का जर्मप्लाज्म उपलब्ध कराना, विलुप्त प्रायः प्रजातियों को संरक्षण प्रदान करना।

3.7.7.12 उज्जैन एवं शहडोल में 1100 लीटर प्रतिदिन उत्पादन क्षमता के तरल नत्रजन संयंत्रों की स्थापना

योजनान्तर्गत उज्जैन एवं शहडोल संभाग मुख्यालय पर तरल नत्रजन संयंत्र स्थापित किये जाना है। प्रदेश में वर्तमान में 16 से 17 लाख लीटर तरल नत्रजन की आवश्यकता है, जबकि प्रदेश में 9.00 लाख तरल नत्रजन का उत्पादन होता है। इसलिये 1100 लीटर प्रतिदिन तरल नत्रजन उत्पादन क्षमता के 02 तरल नत्रजन संयंत्र स्थापित किये जायेंगे। प्रत्येक तरल नत्रजन संयंत्र से 1100 लीटर प्रतिदिन तरल नत्रजन का उत्पादन होगा। तरल नत्रजन का उपयोग हिमीकृत वीर्य के संधारण में होता है। बिना तरल नत्रजन के सीमन का संधारण किया जाना संभव नहीं है। उपरोक्त तरल नत्रजन संयंत्रों की स्थापना होने से प्रदेश में तरल नत्रजन की आवश्यकता की पूर्ति की जा सकेंगी। भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम के तहत 76.50 लाख

पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान के लक्ष्य दिये गये है। इस प्रकार से योजना का क्रियान्वयन किया जाना उपयोगी है।

3.8 राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (National Animal Disease Control Program NADCP)

भारत सरकार, मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय द्वारा ‘‘राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (National Animal Disease Control Program NADCP) प्रारंभ किया गया है। कार्यक्रम अंतर्गत समस्त गौवंशीय, भैंसवंशीय सूकर, बकरी एवं भेड नस्ल के पशुओं को एफ.एम.डी. (मुँहखुरी) का टीका लगाया जाना है। कार्यक्रम में 4–8 माह की बछिया/पड़िया का ब्रूसेल्ला टीकाकरण भी किया जाना प्रस्तावित है। कार्यक्रम अंतर्गत समस्त पशुओं को टीके के साथ–साथ यू.आई.डी. टेग से टैगिंग की जाना है, पशु स्वास्थ्य यह टीकाकरण कार्ड प्रदाय किया जाना है एवं समस्त पशुओं की जानकारी एवं टीकाकरण की जानकारी भारत सरकार के इनॉफ पोर्टल (इन्फारमेशन नेटर्वक फॉर एनीमल प्रोडक्टिीविटी एण्ड हेल्थ–INAPH) पर ऑनलाईन जानकारी दर्ज की जानी है। योजना अंतर्गत समस्त पशुओं को वर्ष में दो बार 06 माह के अंतराल में टीकाकरण किए जाने की योजना है। राज्य में कार्यक्रम का प्रथम चरण 01.08.2020 को प्रारंभ किया गया था। कार्यक्रम अंतर्गत 252.35 लाख पशुओं का टीकाकरण किया गया तथा टैग लगाए गए है।

3.9 राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम (नेशनवाइड आर्टीफीशियल इन्सेमिनेशन प्रोग्राम) NAIP

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम (NAIP) राष्ट्रीय गौकुल मिशन के अर्न्तगत प्रारम्भ किया गया है जिसका मुख्य उदेश्य कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से उच्च उत्पादक क्षमता वाले नर (सांड/पाड़े) के वीर्य का उपयोग कर गाय/भैंसो का जेनेटिक अपग्रेडेसन कर कृषकों की आय में वृद्वि करना है। जो कृषकों की आय दोगुनी करने की दिशा में उठाया गया कदम है।

उक्त कार्यक्रम पूरे देश में ऐसे जिलों में प्रारम्भ किया गया है जिनमें कृत्रिम गर्भाधान कवरेज 50 प्रतिशत से कम है। प्रदेश के सभी 52 जिलों में उक्त कार्यक्रम संचालित है। कार्यक्रम में संपादित कृत्रिम गर्भाधान की इन्ट्री इनॉफ पोर्टल पर की जा रही है। कृत्रिम गर्भाधान से गर्भधारण एवं वत्सोपादन की इन्ट्रीज भी इनॉफ पोर्टल पर की जा रही है।

राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम का प्रथम चरण 15 सितम्बर 2019 से प्रारम्भ होकर 31 मई 2020 को समाप्त हो चुका है। प्रथम चरण में प्रति जिला 100 ग्रामो का चयन कर प्रति ग्राम 200 गौ–भैसवंशीय पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान का लक्ष्य निर्धारित करते हुए प्रति जिला 20000 गौ–भैसवंशीय पशुओं को एवं प्रदेश में कुल 10.20 लाख गौ–भैसवंशीय पशुओं को कृत्रिम गर्भाधान से कवर किए जाने का लक्ष्य रखा गया था,

जिसके विरूद्ध 9.05 लाख गौ–भैसवंशीय पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान सम्पादित किया गया।

राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम का द्वितीय चरण 1 अगस्त 2020 से प्रारम्भ होकर 31 जुलाई 2021 तक संचालित किया गया है। द्वितीय चरण में प्रत्येक जिले से 500 ग्रामों का चयन किया गया है, प्रति ग्राम औषतन 100 पशुओं को कृत्रिम गर्भाधान से कवर करने का लक्ष्य रखा गया है, इस प्रकार प्रति जिला 50000 गौ–भैसवंशीय पशुओं को एवं प्रदेश में कुल 25.50 लाख गौ–भैसवंशीय पशुओं को कृत्रिम गर्भाधान से कवर किए जाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसके विरूद्ध 16.97 लाख पशुओं में 19.67 लाख कृत्रिम गर्भाधान किया गया है।

राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान का तृतीय चरण 1 अगस्त 2021 से प्रारम्भ होकर 31 मई 2022 तक चलाया जाएगा। माह दिसम्बर 2021 तक 4.22 लाख पशुओं में 4.49 लाख कृत्रिम गर्भाधान किया गया है।

3.10 जेन्डर बजट

मध्यप्रदेश जेन्डर बजट जारी करने वाला देश का प्रथम राज्य है। जेन्डर बजट वर्ष 2007–08 में राज्य सरकार ने बजट के साथ ही जेन्डर बजट लागू किया गया है। महिलाओं के समग्र विकास हेतु शासन प्रतिबद्ध है।

जेन्डर बजट को दो श्रेणी के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल किया गया है:–

श्रेणी–1– ऐसे कार्यक्रम/योजनाएं जिनमें शत–प्रतिशत बजट प्रावधान महिलाओं/बालिकाओं के लिये है।

श्रेणी–2– ऐसे कार्यक्रम/योजनाएं जिनमें कुल प्रावधान का कम से कम 30 प्रतिशत बजट प्रावधान महिलाओं/बालिकाओं के लिए हो।

पशुपालन एवं डेयरी विभाग में महिलाओं के लिए अलग से योजनाएं/कार्यक्रम से कम 30 प्रतिशत महिला हितग्राही को योजना का लाभ मिले इसके लिये प्रावधान है। पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अंतर्गत संचालित योजनाओं का संचालन/ क्रियान्वयन महिलाएं घरेलू कार्य के साथ–साथ करती है। जिससे महिलाएं स्वालंबी, उनके जीवन स्तर एवं आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकते है।

विभाग में संचालित निम्न हितग्राही मूलक योजनाओं को श्रेणी–2 में शामिल किया गया है। जो निम्नानुसार है–

(i) आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना।

(ii) छोटे पशु एवं कुक्कुट का उत्प्रेरण।

(iii) बड़े पशुओं का उत्प्रेरण।

3.11 आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश रोडमैप की प्रगति

आत्मनिर्भर म.प्र. रोडमैप अंर्न्तगत पशुपालन विभाग की 27 गतिविधियां चिन्हांकित की गई हैं जिनके माध्यम से पशुपालन क्षेत्र का समग्र विकास हो सकेगा इन समस्त गतिविधियों पर विस्तृत कार्य योजना तैयार करते हुए कार्यवाही प्रारंभ की जा चुकी है। आत्मनिर्भर म.प्र. रोडमैप में उल्लेखित विभाग की कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियों की प्रगति निम्नानुसार है।

3.11.1 पशुपालन में 3 लाख पशुपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड प्रदाय करने के लक्ष्य के विरूद्व वर्तमान में 5.00 लाख आवेदन बैंको में प्रस्तुत किये गये जिनके विरूद्व बैंको द्वारा 1.42 लाख किसान क्रेडिट कार्ड स्वीकृत किये गये हैं।

3.11.2 जिला सिवनी में पॉयलट आधार पर बकरियों में कृत्रिम गर्भाधान सुविधा प्रारंभ की गई है।

3.11.3 नौनेर, दतिया में केन्द्रीय वीर्य संग्रहालय की स्थापना हेतु नवनिर्मित भवन को लोकार्पण दिनांक 23.01.2021 को किया गया है।

3.11.4 युवाओं को पशुपालन के क्षैत्र में आकर्षित करने के उद्देश्य से नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्व विद्यालय अंतर्गत ज्ञान पोर्टल की स्थापना की गई है। साथ ही युवाओं को पशुपालन के क्षैत्र में उद्यामिता के अवसर संबंधित जानकारी देने हेतु राज्य स्तर के तीन एवं प्रत्येक जिले में एक युवा संवाद का आयोजन किया गया है।

3.11.5 केवल मादा बछिया के जन्म को सुनिश्चित करने हेतु सेक्सड सॉरटेड सीमन तकनीक प्रयोगशाला की स्थापना की गई है।

3.11.6 प्रदेश में दुग्ध संकलन को बढ़ाने तथा दुग्ध सहकारिता कार्यक्रम को विस्तारित करने के उद्देश्य से 300 दुग्ध सहकारी समितियों का गठन किया गया है।

3.12 नेशनवाइड एनिमल हस्बेन्ड्री, डेयरी एवं फिशरीज किसान क्रेडिट कार्ड कैम्पेन

दिनांक 15 नवम्बर 2021 से 15 फरवरी 2022 तक कैम्पेन अंतर्गत समस्त पात्र पशुपालकों एवं दुग्ध उत्पादक संगठनों को केसीसी उपलब्ध कराया जाना लक्षित है। जिसके तहत प्रदेश हेतु भारत सरकार द्वारा पशुपालन गतिविधियों हेतु 1600000 किसान क्रेडिट कार्ड का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

किसान क्रेडिट कार्ड कैम्पेन अंतर्गत प्रति गाय राशि रूपये 15000 एवं प्रति भैंस राशि रूपये 18000 की साख सीमा के मान से कार्यशीील पूंजी हेतु 2 प्रतिशत ब्याज दर की छूट पर राशि ` 2 लाख तक ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। प्राप्त ऋण राशि का एक वर्ष की निर्धारित समयावधि में पूर्ण भुगतान करने पर भारत सरकार द्वारा 3 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज दर की छूट प्रदान की जाती है। पशुपालकों को योजनार्गत राशि ` 1.60 लाख तक की साख सीमा तक बिना गारंटी (बिना कोलेटरल) के बैंक द्वारा ऋण उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है।

केसीसी कैम्पेन अंतर्गत जिला स्तर पर कम से कम एक केसीसी केम्प प्रति शुक्रवार के दिन आयोजित कर आवेदनों की जांच परख कर अग्रणी जिला प्रंबंधक द्वारा स्वीकार कर विभिन्न बैंकों को प्रस्तुत किया जाना है।

किसान क्रेडिट कार्ड कैम्पेन अंतर्गत दिनांक 04.02.2022 तक विभाग द्वारा 133174 आवेदन पत्र जिला स्तरीय केसीसी कैम्पों में जमा किये गए। केसीसी समन्वयन समिति द्वारा जांच उपरांत 129024 आवेदन बैंकों द्वारा स्वीकार किये गए, जिनमें से कुल 47301 केसीसी कार्ड स्वीकृत किये गये।

3.13 पशुपालन आधोसंरचना विकास निधि (AHIDF) (Animal Husbandry Infrastructure Development Fund)

माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत इस योजना हेतु 15000 करोड़ रूपये को प्रावधान किया गया है, ताकि व्यक्तिगत उद्यमियों, निजी कम्पनियों, एम.एस.एम.ई., किसान उत्पादक संगठनों (एफ.पी.ओ.) और धारा 8 की कम्पनियों द्वारा

(i) डेयरी प्रसंस्करण और मुख्य संवर्धन व गुणवत्ता, मिलावट, दूषित परिक्षण इकाई हेतु मांस प्रसंस्करण और मुख्य संवर्धन।

(ii) पशु आहार संयंत्र निर्माण जिसमे Feed supplements, Feed Mixes खनिज लवण संयत्र निर्माण आदि।

(iii) नस्ल सुधार प्रौधोगिकी और नस्ल गुणन फार्म (गाय,भैंस,भेड़,बकरी,मुर्गी व सूकर के लिए) उपरोक्त क्षेत्रों में अद्योसंरचना विकसित की जा सकती है।

3.13.1 योजना के उद्‌देश्य–

3.13.1.1 दुग्ध एवं दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता तथा उत्पाद विविधीकरण को बढाने में मदद करना और उसके द्वारा असंगठित ग्रामीण दुग्ध और मांस बाजार में व्यापक पहुंच प्रदान करना।

3.13.1.2 उत्पादकों को बड़ा हुआ मूल्य उपलब्ध कराना।

3.13.1.3 घरेलू उपभोक्ताओं के लिए गुणवत्तापूर्ण दूध और मांस उपलब्ध कराना।

3.13.1.4 देश की बढ़ती हुई आबादी को प्रोटीन युक्त गुणवत्तापूर्ण आहार की आवश्यकता को पूरा कराना और विश्व की सर्वाधिक कुपोषित बच्चों की आबादी में से कुपोषण को रोकना।

3.13.1.5 उद्यमिता विकसित करना और रोजगार कराना।

3.13.1.6 दूध और मांस के क्षेत्र में निर्यात को बढ़ाना।

3.13.1.7 किफायती दरों पर पशुधन को संतुलित पशु आहार उपलब्ध कराना।

3.13.1.8 इस योजनांतर्गत नस्ल गुणन फॉर्म (मवेशी, भेंस, भेड़, बकरी, सूकर), आईवीफ केन्द्र की स्थापना, सेक्स सोर्टेड वीर्य की अद्योसंरचना को विकसित कराना।

3.13.2 योजना में ऋण और मार्जिन राशि/लाभार्थी का योगदान–

3.13.2.1 परियोजना लागत का 90 प्रतिशत तक ऋण की पात्रता।

3.13.2.2 एम.एस.एम.ई. द्वारा निर्धारित सीमा अनुसार सूक्ष्म और लघु इकाइयों के मामले में लाभार्थियों का योगदान 10 प्रतिक्षत।

3.13.2.3 मध्यम इकाइयों के मामले में लाभार्थी का योगदान 15 प्रतिक्षत।

3.13.2.4 अन्य श्रेणी के उद्यमियों में लाभार्थी का योगदान 25 प्रतिशत।

3.13.2.5 क्रेडिट गारंटी फण्ड–75 करोड़ रू. प्रतिवर्ष का क्रेडिट गारंटी फण्ड नाबार्ड द्वारा एम.एस.एम.ई. के लिए।

3.13.3 ब्याज सहायता–

सभी पात्र इकाइयों के लिये 3 प्रतिशत ब्याज सहायता का प्रावधान है। आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाईन पोर्टल ahidf.udyamimitra.in पर आवेदन किये जा सकते हैं।

भाग – चार

शासकीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्र/भेड़ प्रक्षेत्र/बकरी प्रक्षेत्र एवं कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र

4.1 शासकीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्र का उददेश्य

पशुओं के नस्ल का संरक्षण एवं संवर्धन कर विभिन्न विभागीय योजनाओं के अन्तर्गत हितग्राहियों को उन्नत नस्ल के सॉंड/ पाड़े उपलब्ध करना।

तालिका 4.1

शासकीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्रों की जानकारी

क्र.	शासकीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्र का नाम	प्रक्षेत्रों की संक्षिप्त जानकारी			
		स्थापना वर्ष	उपलब्ध नस्ल	कुल पशुधन	कुल उपलब्ध भूमि (एकड़ में)
1	शास. जर्सी पशु प्रजनन प्रक्षेत्र भदभदा (भोपाल)	वर्ष 1976–77	जर्सी, साहीवाल, जर्सी साहीवाल क्रास	243	208
2	शास. पशु प्रजनन प्रक्षेत्र मिनोरा (टीकमगढ़)	वर्ष 1972	हरियाणा	293	350
3	शास. पशु प्रजनन प्रक्षेत्र आगर (आगर मालवा)	वर्ष 1942	मालवी, मुर्रा	312	1150
4	शास. पशु प्रजनन प्रक्षेत्र रोड़िया (खरगोन)	वर्ष 1979	निमाड़ी	191	103
5	शास. पशु प्रजनन प्रक्षेत्र इमलीखेड़ा (छिन्दवाड़ा)	वर्ष 1954–55	साहीवाल, जर्सी साहीवाल क्रास	441	112
6	शास. पशु प्रजनन प्रक्षेत्र गढ़ी (बालाघाट)	वर्ष 1917	साहीवाल, संकर जर्सी	371	1080
7	शास. पशु प्रजनन प्रक्षेत्र	वर्ष 2010	केनकाठा	128	995

	पवई (पन्ना)				

4.2 शासकीय भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र का उददेश्य

उन्नत नस्ल के मेढे तैयार कर भेड़ विस्तार केन्द्रों के माध्यम से पशुपालकों को प्रदाय कर स्थानीय भेड़ की नस्ल में सुधार लाना।

तालिका 4.2
शासकीय भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्रों की जानकारी

क्र.	शासकीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्र का नाम	प्रक्षेत्रों की संक्षिप्त जानकारी			
		स्थापना वर्ष	उपलब्ध नस्ल	कुल पशुधन	कुल उपलब्ध भूमि (एकड़ में)
1	शास. भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र पड़ोरा (शिवपुरी)	वर्ष 1975	रेम्बूलेट क्रास, जमुनापारी क्रास	109	197
2	शास. भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र मिनौरा (टीकमगढ़)	वर्ष 1958	रेम्बूलेट एवं कॉरीडेल	258	355

4.3 शासकीय बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र का उद्देश्य

जमनापारी नस्ल की बकरियों का संरक्षण एवं संवर्धन कर विभिन्न विभागीय योजनाओं के अन्तर्गत हितग्राहियों/ पशुपालकों को उपलब्ध कराना।

तालिका 4.3
शासकीय बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र की जानकारी
वर्ष 2021–2022

क्र.	शासकीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्र का नाम	प्रक्षेत्रों की संक्षिप्त जानकारी			
		स्थापना वर्ष	उपलब्ध नस्ल	कुल पशुधन	कुल उपलब्ध भूमि (एकड़ में)
1	शास. बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र आरोन (ग्वालियर)	वर्ष 1980	बरबरी, जमुनापारी	360	312
2	शास. बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र मिनौरा (टीकमगढ़)	वर्ष 2013	जमुनापारी	496	पशु प्रजनन प्रक्षेत्र मिनौरा की भूमि पर स्थापित
3	शास. बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र चिनकी उमरिया (नरसिंहपुर)	वर्ष 2019	सिरोही	153	54
4	शास. बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र ठीकरी (बड़वानी)	वर्ष 2020	जमुनापारी	51	129

4.4 शासकीय कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र का उद्देश्य

कुक्कुट पालन प्रक्षेत्रों पर लो इनपुट टेक्नोलॉजी वाले पक्षियों का संवर्धन कर विभिन्न विभागीय योजनाओं में प्रदाय करने हेतु एक दिवसीय चूजों का उत्पादन करना प्रक्षेत्र का उद्देश्य है साथ ही कड़कनाथ कुक्कुट प्रक्षेत्र झाबुआ में मध्य प्रदेश का गौरव कहलाने वाले कड़कनाथ नस्ल के पक्षियों का संरक्षण एवं संवर्धन करने के साथ–साथ विभागीय कड़कनाथ प्रदाय योजना अन्तर्गत चूजा प्रदाय करने हेतु एक दिवसीय चूजों का उत्पादन करना मुख्य उद्देश्य है।

तालिका 4.4
शासकीय कुक्कट पालन प्रक्षेत्र की जानकारी

क्र.	शासकीय कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र का नाम	प्रक्षेत्रों की संक्षिप्त जानकारी वर्ष 2020–21			
		स्थापना वर्ष	उपलब्ध नस्ल	कुल उपलब्ध मादा पेरेन्ट पक्षी (माह दिसम्बर 2021 तक)	कुल उपलब्ध भूमि (एकड़ में)
1	शास. कुक्कुट प्रक्षेत्र अनुसंधान हताईखेड़ा, भोपाल	वर्ष 1968–69	कड़कनाथ आर.आई.आर. रंगीन ब्रायलर नर्मदा निधि जापानी बटेर चाब्रो	1664 2550 510 1496 2018 815	11
2	शास. कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र, इन्दौर	वर्ष 1963–64	कड़कनाथ	783	13
3	शास. कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र, ग्वालियर	वर्ष 1986–87	चाब्रो कड़कनाथ आर0आई0आर0	350 700 750	3
4	शास. कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र, गुना	वर्ष 1988–89	आर0आई0आर0 चाब्रो	710 1120	7
5	शास. कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र, सागर	वर्ष 1986–87	आर0आई0आर0	2300	10
6	शास. कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र, रीवा	वर्ष 1964–65	आर0आई0आर0 नर्मदानिधि	750 1640	5

7	शास. कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र, छिन्दवाड़ा	वर्ष 1965—66	वन राजा	0	12
8	शास. कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र, शहडोल	वर्ष 1960—61	आर0आई0आर0 कड़कनाथ	1739 940	6
9	शास. कड़कनाथ कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र, झाबुआ	वर्ष 1978—79	कड़कनाथ	2075	6
	कुल			**22910**	**74**

भाग—5
सामान्य प्रशासनिक जानकारी
तालिका 5.1
विभाग में स्वीकृत एवं कार्यरत पदों की संख्या
(माह दिसम्बर 2021 की स्थिति में) 2021—22

क्रमांक	श्रेणी / पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	संचालक	1	—	1
2	अपर संचालक	2	—	2
3	संयुक्त संचालक	21	7	14
4	उप संचालक / सिविल सर्जन पशु चिकित्सा / पशु प्रजनन कार्यक्रम अधिकारी	207	79	128
5	उप संचाालक(रिसर्च)	1	—	1
6	सहायक संचालक / पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ / पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी	1671	1382	289
7	सहायक संचालक सॉख्यिकीय / सांख्यिकीय अधिकारी	17	3	14
8	क्षेत्रीय अधिकारी (सॉख्यिकीय)	1	—	1
9	सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं	4	—	4
10	प्रशासनिक अधिकारी / लेखा परीक्षा अधिकारी / लेखा अधिकारी	3	1	2
11	जन संचार दृश्य श्राव्य अधि0	1	—	1
12	खाद्य विश्लेषक	1	—	1
13	उपयंत्री	3	3	—

14	मुख्य मानचित्रकार	1	1	—
15	सहायक सॉख्यिकीय अधिकारी	48	14	34
16	विपणन निरीक्षक	5	1	4
17	सहा0पशु चिकि0 क्षेत्र अधि0, प0चि0क्षेत्र अधि0, वरिष्ठ प0चि0क्षेत्र अधि0, पशुधन क्षेत्र अधि0	5795	3120	2675
18	प्रगति सहायक / संगणक	110	84	26
19	प्रगणक	72	67	5
20	प्रयोगशाला सहायक / तकनीशियन	132	62	70
21	क्षेत्र सहायक	40	14	26
22	प्लांट आपरेटर	11	7	4
23	दुग्ध अभिलेखक	17	7	10
24	प्रोजेक्ट आपरेटर	18	14	4
25	प्रोजेक्ट आपरेटर कनिष्ठ	5	5	—
26	विद्युतकार मैकेनिक	7	5	2
27	पट्टी बंधक वर्ग—1	15	8	7
28	लिपिक वर्गीय	849	566	283
29	वाहन चालक	167	109	58
30	चतुर्थ श्रेणी	2919	2673	246

तालिका 5.2
विभागीय नियुक्तियां एवं पदोन्नतियां
(माह दिसम्बर 2021 की स्थिति में)

क्रमांक	पद श्रेणी	नियुक्तियाँ	पदोन्नतियाँ
1	प्रथम श्रेणी	—	—
2	द्वितीय श्रेणी	—	—
3	तृतीय श्रेणी	227	—

तालिका 5.3
विभागीय जाँच सम्बन्धी जानकारी
(माह दिसम्बर 2021 की स्थिति में)

क्र.	श्रेणी	जाँच प्रकरणों की संख्या	निराकृत जाँच प्रकरण	लंबित जॉच प्रकरण
1	प्रथम श्रेणी	10	02	08
2	द्वितीय श्रेणी	12	04	08
3	तृतीय श्रेणी	11	05	06

4	चतुर्थ श्रेणी	01	—	01

तालिका 5.4
विभाग के विरुद्ध दायर न्यायालयीन प्रकरणों की स्थिति
(माह दिसम्बर 2021 की स्थिति में)

क्र.	पद श्रेणी	माननीय न्यायालय द्वारा निर्णित/खारिज	निराकृत	पालन हेतु शेष	माननीय न्यायालय में कुल विचाराधीन प्रकरण
1	प्रथम श्रेणी	—	—	—	03
2	द्वितीयश्रेणी	01	01	—	08
3	तृतीय श्रेणी	14	09	03	11
4	चतुर्थ श्रेणी	11	02	09	10
	योग	**26**	**12**	**12**	**32**

तालिका 5.5
स्थानान्तरण
विभाग द्वारा किये गये स्थानांतरणों की जानकारी
(माह दिसम्बर 2021 की स्थिति में)

क्रमांक	श्रेणी/ पदनाम	स्थानांतरण की संख्या	संशोधन संख्या	निरस्त की संख्या
	(प्रथम श्रेणी)			
1	संयुक्त संचालक	02	01	—
2	उप संचालक/सिविल सर्जन/पशु प्रजनन कार्यक्रम अधिकारी	22	—	—
	(द्वितीय श्रेणी)			
1	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ	200	3	0
2	सहायक संचालक सांख्यकीय	01	—	—
	(तृतीय श्रेणी)			
1	सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी	192	01	02

2	लिपिक वर्गीय	14	—	—

भाग–छः

विभागीय उपलब्धियाँ

6.1 महत्वपूर्ण विभागीय उपलब्धियाँ

- वर्ष 2020–21 में प्रदेश की दुग्ध उत्पादन की वृद्धि दर 5.20 प्रतिशत् है।
- वर्ष 2020–21 में दुग्ध उत्पादन 17109 हजार मेट्रिक टन से बढ़कर 17999 हजार मेट्रिक टन हुआ है। वर्ष 2020–21 में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दुग्ध उपलब्धता 543 ग्राम से बढ़कर 563 ग्राम हो गई है।
- वर्ष 2020–21 में अण्डा उत्पादन 23794 लाख से बढ़कर 26516 लाख हुआ है। वर्ष 2020–21 में प्रति व्यक्ति वार्षिक अण्डा उपलब्धता 28 अण्डा से बढ़कर 30 अण्डा वार्षिक हो गया है।
- दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने हेतु उन्नत नस्ल के नर एवं मादा उत्पादित करने के लिए भ्रूण प्रत्यारोपण जैसी नवीन तकनीक का उपयोग प्रारम्भ किया गया है। वर्ष 2021–22 में माह दिसम्बर 2021 तक 82 भ्रूण संकलित किए गए तथा 71 भ्रूण प्रत्यारोपित किए गए एवं 12 वत्सों का उत्पादन हुआ।
- केन्द्रीय वीर्य संस्थान भदभदा भोपाल पर सुदृढ़ीकरण एवं विकास किया गया। संस्थान को भारतीय मानक ब्यूरो से IS/ISO 9001:2015 (BIS Certificate) प्रमाण पत्र दिनांक 12 जून 2019 से 24 मार्च 2022 तक के लिए प्राप्त।
- मध्यप्रदेश की पशु प्रजनन नीति के अनुसार केन्द्रीय वीर्य संस्थान भोपाल पर देश/प्रदेश के गौवंश मालवी, निवाड़ी, केनकथा, गिर, साहीवाल एवं थारपारकर नस्ल, भैंसों की मुर्रा, जाफरावादी एवं भदावरी नस्ल, जर्सी, जर्सी संकर, एच.एफ. संकर, नस्ल आदि का 30 लाख डोजेज से अधिक फ्रोजन सीमन का उत्पादन किया जा रहा है।
- केन्द्रीय वीर्य संस्थान के द्वारा वर्ष 2021–22 में माह दिसम्बर 2021 तक गौ एवं भैंस वंशीय नस्लों का 22.80 लाख फ्रोजन सीमन डोजेज का उत्पादन तथा 23.60 लाख फ्रोजन सीमन का वितरण किया गया।
- प्रदेश में वर्ष 2021–22 में माह दिसम्बर 2021 तक 10271 पंजीकृत दुग्ध सहकारी समितियों में से 6865 दुग्ध सहकारी समितियां कार्यरत है।
- वर्ष के दौरान 8.95 लाख कि.ग्रा. प्रतिदिन औसत दुग्ध संकलन तथा 6.32 लाख लीटर प्रतिदिन औसत दुग्ध विक्रय किया गया।
- लॉकडाउन अवधि के दौरान दुग्ध संघों द्वारा कुल 2 करोड़ 87 लाख लीटर दूध अतिरिक्त रूप से क्रय किया गया तथा दुग्ध उत्पादकों को राशि ` 52-50 करोड़ की

राशि का अतिरिक्त भुगतान किया गया। जिससे दुग्ध उत्पादक किसानों को आर्थिक रूप से मनोबल मिला।

- दुग्ध सहकारी समितियों से संबंद्ध 2.68 लाख दुग्ध उत्पादकों के किसान क्रेडिट कार्ड बनाए जा रहे है। वर्तमान में 2.18 लाख दुग्ध उत्पादकों के आवेदन प्रपत्र भरे जा रह जा चुके हैं जबकि 2.12 लाख दुग्ध उत्पादकों के आवेदन प्रपत्र दुग्ध संघों द्वारा अग्रेषित किए गए हैं तथा 1.97 लाख आवेदन विभिन्न बैंकों में प्रस्तुत किए गए हैं। बैंको द्वारा 56,051 नवीन किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं एवं 7,409 किसानों की क्रेडिट लिमिट बढ़ाई गई है।
- खण्डवा में 25 हजार लीटर क्षमता के संयंत्र निर्माण का कार्य पूर्ण।
- इंदौर में 30 मेट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता के दुग्ध चूर्ण संयंत्र की स्थापना की स्वीकृति।
- जबलपुर में राशि ` 975.86 लाख की लागत से 10 मेट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता के स्वचलित पनीर निर्माण संयंत्र की स्थापना का कार्य पूर्ण।
- सागर में 1 लाख लीटर क्षमता के संयंत्र निर्माण का कार्य पूर्ण।
- रीवा में 20 हजार लीटर क्षमता के संयंत्र निर्माण का कार्य पूर्ण।
- शिवपुरी में 20 हजार लीटर क्षमता के संयंत्र निर्माण का कार्य पूर्ण।
- ऊर्जा विकास निगम के माध्यम से लगभग राशि ` 4.13 करोड़ की लागत से 5 संयंत्रों में सौर ऊजा आधारित गर्म पानी के संयंत्रों की स्थापना की जा रही है।

भाग—सात
विभाग के अंतर्गत आने वाले निगम, बोर्ड एवं समितियाँ

7.1 म. प्र. राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम

म. प्र. राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम की स्थापना अधिनियम 37 (1982) के अन्तर्गत 19 नवम्बर 1982 को निगम के कामकाज, पशु उत्पादन (दूध तथा दुग्ध उत्पादों को छोड़कर) तथा कुक्कुट उत्पादों के संग्रहण, पालन पोषण और विपणन करने एवं पशु तथा कुक्कुट का संरक्षण, प्रबंध और विकास करने के उद्देश्य से हुई जिससे कि राज्य के पशुधन का विकास हो सके और उसमें वृद्धि हो सके।

तालिका 7.1
मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम द्वारा क्रियान्वित प्रमुख योजनाओं की उपलब्धियाँ वर्ष 2021—22

(दिसम्बर 2021 की स्थिती में)

क्र.	विवरण	वर्ष					
		2019—20		2020—21		2021—22 (31दिसम्बर 2021 तक)	
		भौतिक	वित्तीय (लाख राशि ` में)	भौतिक	वित्तीय (लाख राशि ` में)	भौतिक	वित्तीय (लाख राशि ` में)
1.	उच्चवंशीय पशुधन का प्रदाय (बैल जोड़ी भी सम्मिलित)	370	102.62	134	38.13	91	12.75
2.	नस्ल सुधार (गौवंश / भैंसवंश / बकरा / सूकर)	4181	1116.35	1347	357.24	221	74.84
3.	पशु आहार का उत्पादन (मे. टन में) (गौ—भैंसवंश / बकरा एवं पक्षी)	3459.20	649.31	3724.87	668.42	3311.78	624.59
4.	तरल नत्रजन का विक्रय (लाख लीटर में)	13.11	498.23	13.24	553.803	8.73	366.71
5.	फ्रोजन सीमन का उत्पादन (लाख स्ट्रा)	30.65	704.05	29.50	901.00	22.80 लाख उत्पादन एवं 20.71 लाख वितरण	542.01
6.	सेक्स सार्टेड सीमन डोज का उत्पादन	—	—	—	—	1.73 लाख उत्पादन एवं 0.32 लाख वितरण	35.96
7.	राष्ट्रीय गौ—भैंस वंशीय, पशु प्रजनन कार्यक्रम) (RGM)	BA2X-1000 नग 1.5 Ltr -300 नग TA55-100 नग BA35-100 नग BA20-100 नग तरल नत्रजन पात्रों का जिलों को प्रदाय कृ.ग. शीथ 1850000	394.63	मैत्री प्रशिक्षण—1000 कृ. गर्भा. केन्द्रों का सुदृढ़िकरण —5 BA 3-1000 नग AI kit-1000 नग	1000 लाख	मैत्री प्रशिक्षण हेतु 1000 लक्ष्यों का आवंटन तथा BA—3 300 Thawing unit	—

		ग्लब्स 1600000 कृ.ग. गन 6000 थवाइंग यूनिट 1000 केस्ट्रेटर 1000		Trans Tanker –1 नग Castrator-2500 नग TA 55-500 नग AI Seath 25 लाख बुल मदर फार्म का सुदृढ़िकरण		का क्रय	
8.	राष्ट्रीय गोकुल मिशन अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में मैत्री की स्थापना	—	—	मैत्री प्रशिक्षण 1100	680.604	मैत्री प्रशिक्षण 333	209.99
9.	राष्ट्रीय गोकुल मिशन (NAIP) अन्तर्गत नेशनवाइड जेनेटिक अपग्रेडशन कार्यक्रम कृत्रिम गर्भाधान	810628	1461.01	781636	1109.554	335000	377.87
10.	बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज	194	75.66	34	13.60	—	—
11.	रिस्क मैनेजमेन्ट एण्ड इन्श्योरेन्स (पशुधन बीमा योजना)	55450	409.18	30214	242.27	49623	282.06
12.	दुग्ध उत्पादन एवं विक्रय, कीरतपुर (लाख लीटर)	1.53	73.03	1.88	84.39	1.45	65.58
13.	कीरतपुर (इटारसी) में मुर्रा भैंस प्रजनन केन्द्र की स्थापना	119 वत्स उत्पादित	17.83	253 वत्स उत्पादित	10.12	84 वत्स उत्पादित	3.36
14.	भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला	218 भ्रूण संकलित किए एवं 198 प्रत्यारोपण, 36 वत्सों का उत्पादन	230.28	89 भ्रूण संकलित किए एवं 74 प्रत्यारोपण, (15 फ्रोजन)	200.00	89 भ्रूण संकलित, किए एवं 71 भ्रूण प्रत्यारोपण, 11फ्रोजन 17 वत्सों का उत्पादन	200.00
15.	कीरतपुर (इटारसी) में नेशनल कामधेनु ब्रीडिंग सेन्टर	6 नवीन पशु शेड एवं 5शेडों का जीर्णोद्धार प्रवेशद्वार,एपरोच रोड,सुरक्षा कक्ष, बाउन्ड्रीवाल का निर्माणकार्य पूर्ण,तथा 134 पशुओंका क्रय।	—	वत्स उत्पादन 50, 1 भैंस शेड का जीर्णोदार, भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला की अधोसंरचना का कार्य प्रारम्भ तथा 177 पशुओं का क्रय	—	भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला की अधोसंरचना का कार्य पूर्ण 136 पशुओं का क्रय	—
16.	दतिया में सीमन स्टेशन की स्थापना	कार्य पूर्ण	342.86	कार्य पूर्ण	1342.00	—	—
17.	कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्थान, रतौना (सागर)	निर्माण कार्य पूर्ण	98.00	निर्माण कार्य पूर्ण	—	प्रशिक्षण कार्य जारी	—
18.	राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अन्तर्गत पशु प्रजनन प्रक्षेत्र रतौना, सागर में गोकुल ग्राम की स्थापना	गोकुल ग्राम की अधोसंरचना एवं विकास का कार्य प्रगति पर 282 पशु क्रय (70 नर एवं 212मादा)	627.42	गोकुल ग्राम का कार्य पूर्ण	—	गोकुल ग्राम की स्थापना पूर्ण	—
19.	टर्न ओवर	—	6800.46	—	7201.13		2795.72

7.1.1 बुल मदर फार्म, भदभदा, भोपाल

बुल मदर फार्म, भदभदा, भोपाल को ISO Certificate 9001:2008 प्रमाण पत्र प्राप्त है। प्रक्षेत्र पर गायों की देशी नस्ल के संरक्षण एवं संवर्धन का कार्य किया जा रहा है। जिसके अंतर्गत 34 नंदी (गिर, साहीवाल, थारपाकर, हरियाणा, निमाडी एंव मालवी) वत्सों को संगोपित किया गया तथा 13 नंदी सान्डों को प्रदेश के हितग्राहियों/पशु पालकों को प्रदाय किया गया है।

7.1.2 राज्य स्तरीय केन्द्रीय वीर्य संग्रहालय, भदभदा, भोपाल

केन्द्रीय वीर्य संस्थान, भदभदा, भोपाल का सुदृढ़ीकरण एंव विकास किया गया। संस्थान को भारतीय मानक ब्यूरों से ISO 9001:2015 (BIS Certificate) प्रमाण पत्र दिनॉक 25 मार्च 2016 से 24 मार्च 2019 तक के लिए प्राप्त। भारत सरकार के द्वारा गठित CMU की अनुशंसा पर केन्द्रीय वीर्य संस्थान, भदभदा, भोपाल को प्रथम वर्ष 2016 मे तथा (पुनः) 11 मार्च 2019 को A ग्रेड प्रदान किया गया है। मध्यप्रदेश की पशु प्रजनन नीति के अनुसार केन्द्रीय वीर्य संस्थान भोपाल पर देश/प्रदेश के गौ–वंश मालवी, निमाडी, केनकथा, गिर, साहीवाल एवं थारपारकर नस्ल, भैंसों की मुर्रा, जाफरावादी एवं भदावरी नस्ल, जर्सी, जर्सी शंकर, एच–एफ शंकर, एच. एफ. नस्ल आदि का 30 लाख डोजेज से अधिक फ्रोजन सीमन उत्पादन किया जा रहा है।

7.1.3 तरल नत्रजन संयत्र, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, इन्दौर

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत (RKVY) चार तरल नत्रजन संयंत्रों, भोपाल/इन्दौर /जबलपुर /ग्वालियर की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त बुंदेलखण्ड विशेष पैकेज फेज –2 के तहत सागर में एक तरल नत्रजन संयंत्र की स्थापना की गई है। एक तरल नत्रजन संयंत्र से एक दिवस में लगभग 500–600 लीटर के हिसाब से प्रतिवर्ष लगभग 1.8 लाख से 2.15 लाख लीटर तरल नत्रजन का उत्पादन होता है।

7.1.4 नेशलन कामधेनू ब्रीडिग सेन्टर, कीरतपुर, इटारसी होशंगाबाद

भारत सरकार के द्वारा उत्तर भारत के लिये मध्यप्रदेश राज्य में नेशनल कामधेनू ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। भारत सरकार की 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता से मध्यप्रदेश में पशु प्रजनन प्रक्षेत्र, कीरतपुर (इटारसी) जिला होशंगाबाद में नेशनल कामधेनू ब्रीडिंग सेंटर स्थापित किया गया है, जिसमें प्रथम चरण में 17 देशी नस्लों के उत्कृष्ट पशु रखे जायेंगे।

योजना का उद्देश्य : भारतीय गौ–भैंस वंशीय नस्लों का संरक्षण एवं संर्वधन,उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि, अनुवांशिक गुणवत्ता का उन्नयन, प्रमाणित Elite Germplasm का प्रदाय, देशी नस्लों को विलुप्त होने से बचाना।

7.1.5 पशु/कुक्कुट आहार संयंत्र, कीरतपुर (इटारसी) एवं इंदौर

संस्थान का उद्‌देश्य प्रदेश के पशुपालकों को उच्च गुणवत्ता तथा उचित मूल्य पर पशु आहार प्रदाय सुनिश्चित करना साथ ही दुधारू पशुओं एंव अन्य पशुओं के लिए पशु आहार का उत्पादन एवं इनका विकास करना है।

7.1.6 पशु प्रजनन प्रक्षेत्र रतौना, सागर

राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत भारत सरकार की 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता से गोकुल ग्राम की स्थापना की गई है। देश के 13 राज्यों में कुल 20 गोकुल ग्राम स्वीकृत किये गये है, जिसमें मध्य प्रदेश राज्य में रतौना जिला सागर का चयन किया गया है। गौकुल ग्राम का उद्‌देश्य संरक्षण एडं भारतीय गौवंशीय नस्लों का सुधार है। जिस हेतु क्रियान्वयन एजेन्सी को 500 एकड़ भूमि स्थानांतरित की गई है। आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश को सफल बनाने में राष्ट्रीय गोकुल मिशन की महत्वपूर्ण भूमिका है।

7.1.7 कृषक एवं कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्थान, रतौना सागर

बुंदेलखंड फेस–2 के तहत भारत सरकार की 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता से रतौना जिला सागर में कृषक एवं कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया गया है। संस्थान की स्थापना हो जाने से यहां कृषक एवं पशुपालकों को प्रशिक्षण, गौसेवकों को प्रशिक्षण एवं मैत्री का प्रशिक्षण संपादित किया जावेगा। यह बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रथम संस्थान है।

7.1.8 कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण, बुल मदर फार्म, भदभदा, भोपाल

बुल मदर फार्म स्थित कृत्रिम गृर्भाधान प्रशिक्षण संस्थान को दिनांक 23.01.2020 से 3 वर्षो के लिये भारत सरकार द्वारा प्रशिक्षण हेतु मान्यता प्रदान की गई है।

7.1.9 सेक्सड सॉरटेड सीमन उत्पादन के लिये प्रयोगशाला की स्थापना

भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय गोकुल मिशन अंतर्गत दिनांक 22 जनवरी 2019 को केन्द्रीय वीर्य संस्थान, भदभदा भोपाल पर सेक्सड सॉरटेड सीमन उत्पादन की सुविधा विकसित करने हेतु राशि रू. 47.50 करोड़ की परियोजना स्वीकृत की गई है। योजना का उद्‌देश्य मादा पशुओं की संख्या बढाने के लिए केवल मादा सीमन किसानों को उपलब्ध कराना है। इन प्रयोगशाला की स्थापना से देशी गाय की गिर, साहीवाल, थारपारकर एंव भैंस की मुर्रा आदि नस्लों का Sex Sorted Semen उत्पादन किया जायेगा। मादा वत्स के उत्पादन के फलस्वरूप दुग्ध उत्पादन में वृद्दि होगी तथा नर वत्स की उत्पत्ति को सीमित किया जा सकेगा।

7.1.10 सीमन स्टेशन, नौनेर, दतिया

बुंदेलखण्ड विशेष पैंकेज के अन्तर्गत नौनेर,दतिया में सीमन स्टेशन का लोकार्पण दिनांक 23.01.2021 को किया गया है। म.प्र की पशु प्रजनन नीति अनुसार पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम हेतु गौवंशीय एवं भैसवंशीय नस्लों का हिमीकृत वीर्य उत्पादन किया जाएगा।

7.2 एम. पी. स्टेट को–ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड

वर्ष 1980 में आपरेशन फ्लड कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश में सहकारी क्षेत्र में समन्वित डेयरी विकास की गतिविधियां संचालित करने के लिए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत मध्यप्रदेश दुग्ध महासंघ सहकारी मर्यादित (वर्तमान में एम.पी. स्टेट को –ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लि.) की स्थापना की गई। इसी के साथ आणंद प्रणाली पर त्रि–स्तरीय सहाकरी संस्थाओं का गठन प्रारम्भ हुआ। इसके अन्तर्गत प्रथम स्तर पर ग्रामीण दुग्ध सहकारी समितियां, द्वितीय स्तर पर सहकारी दुग्ध संघ एवं राज्य स्तर पर एम.पी.स्टेट को–आपरेटिव डेयरी फेडरेशन (एमपीसीडीएफ) कार्यरत है।

7.2.1 त्रिस्तरीय सहकारी डेयरी संरचना निम्नानुसार है–

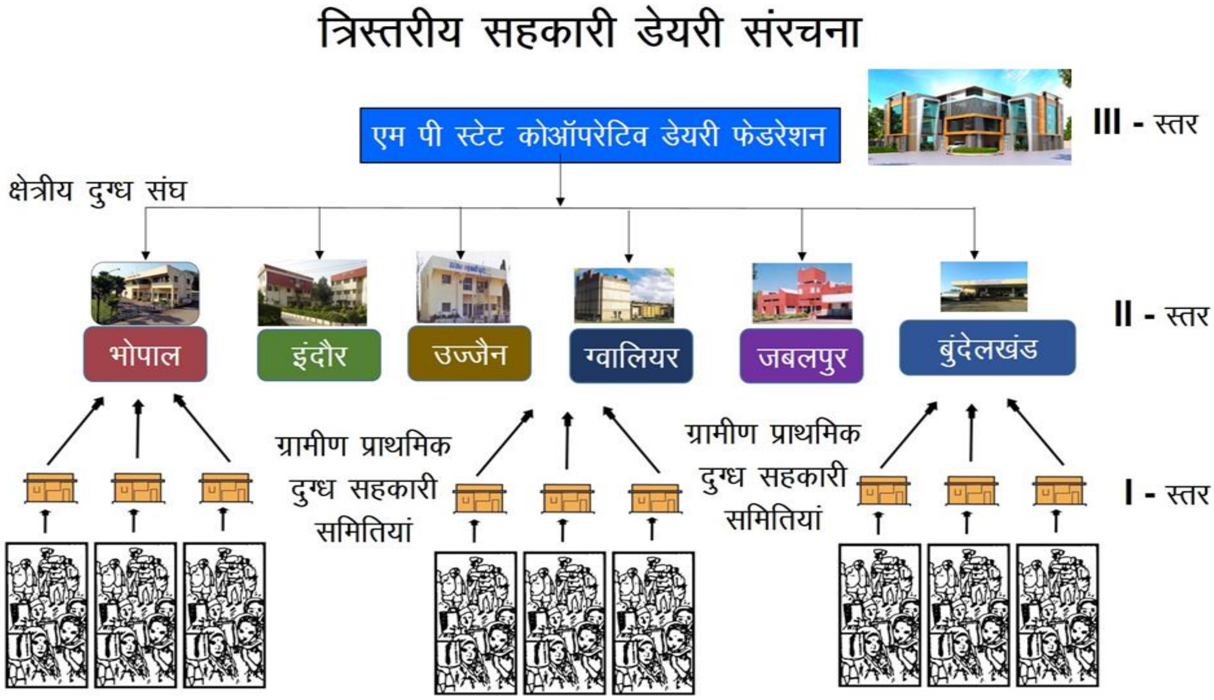

7.2.2 दुग्ध संघवार जिलों का वर्गीकरण निम्नानुसार है –

क्र.	दुग्ध संघ	कुल जिले	सम्मिलित जिले
1	भोपाल सहकारी दुग्ध संघ	पूर्ण–10 आंशिक–02	भोपाल, सीहोर, विदिशा, राजगढ, रायसेन, गुना, होशंगाबाद, बैतूल, हरदा, अशोकनगर, एवं जिला शाजापुर (शुजालपुर, कालापीपल तहसील) का कुछ क्षेत्र
2	इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ	पूर्ण–09 आंशिक–02	इन्दौर, देवास, खरगौन, धार, बडवानी, झाबुआ, अलीराजपुर, खण्डवा, बुरहानपुर, उज्जैन (उज्जैन का कुछ क्षेत्र)
3	उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ	पूर्ण–06 आंशिक–03	उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, शाजापुर, आगर मालवा, धार (बदनावर तहसील) व देवास का कुछ क्षेत्र
4	जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ	पूर्ण–15	जबलपुर, सिवनी, नरसिंहपुर, रींवा, सतना, मण्डला, डिंडोरी, कटनी, छिंदवाडा, शहडोल, उमरिया, अनुपपुर, सीधी, सिंगरौली, बालाघाट
5	ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ	पूर्ण–06	ग्वालियर, भिण्ड, मुरैना, शिवपुरी, श्योपुर, दतिया
6	बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ, सागर	पूर्ण–06	सागर, छतरपुर, दमोह, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी
कुल जिले		**52**	

तालिका 7.2
सहकारी डेयरी विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत विगत पाँच वर्षों की भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि

क्र.	विवरण	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22 (माह दिसम्बर 2021 तक)
1	कार्यशील दुग्ध सहकारी समितियों की संख्या	7190	6498	7811	7205	6865
2	कार्यशील दुग्ध सहकारी समितियों की सदस्य संख्या	264653	257418	268087	246551	240247
3	दुग्ध संकलन किलोग्राम /प्रतिदिन	1102657	1010888	858527	913343	894543

4	स्थानीय दुग्ध विक्रय (लीटर प्रतिदिन)	766195	740271	747751	638357	662510
5	पशु आहार विक्रय (मेट्रिक टन)	98021	104310	102674	82980	86926
6	कृत्रिम गर्भाधान (संख्या)	622604	601450	600174	561612	436099
7	दुग्ध उत्पादकों को भुगतान (राशि ` करोड़ में)	1288.81	1100.30	1294.44	1117.14	928.45
8	विक्रय प्राप्तियां (राशि ` करोड़ में)	1689.64	1905.17	1884.23	1708.52	1521.83

7.2.3 नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट (NPDD)

(i) भारत शासन द्वारा वित्त पोषित योजना।

(ii) योजना का उद्देश्य दुग्ध संकलन, शीतलीकरण, प्रसंस्करण तथा विपणन से सम्बंधित अधोसंरचना का विकास एवं विस्तार करना ।

(iii) वर्तमान में यह योजना कुल 26 जिलों यथा खरगोन, देवास–धार, राजगढ़, शाजापुर, भोपाल, गुना, सीहोर, रायसेन, विदिशा, बैतूल, मंदसौर, रतलाम उज्जैन, इंदौर, खंडवा, बडवानी, भिंड, मुरेना, श्योपुर, शिवपुरी, दतिया, सिंगरौली छतरपुर, टीकमगढ़ तथा दमोह जिलों में क्रियान्वित की जा रही है।

(iv) परियोजना के लिए वर्ष 2015 से 2021 तक भारत शासन से रु. 63.08 करोड़ की राशि प्राप्त।

(v) परियोजना अंतर्गत कुल 201 बल्क मिल्क कूलर, 51 मिल्क टैंकर, 817 आटोमेटिक मिल्क कलेक्शन यूनिट, 145 इलेक्ट्रॉनिक मिल्क एडल्ट्रेशन टेस्टिंग किट, 110 मिल्क एनालाइजर तथा 12 प्रयोगशालाओं का सुद्रढीकरण।

7.2.4 आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश

(i) दुग्ध सहकारी समितियों से संबंद्ध 2.18 लाख दुग्ध उत्पादकों द्वारा आवेदन प्रपत्र भरे गए हैं जबकि 2.12 लाख दुग्ध उत्पादकों के आवेदन प्रपत्र दुग्ध समितियों द्वारा अग्रेषित किए गए हैं तथा 1.97 लाख आवेदन विभिन्न बैंकों में प्रस्तुत किए गए हैं। बैंकों द्वारा 56,051 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं।

(ii) तीन वर्षो में 800 सहकारी समितियों के गठन के लक्ष्य के विरूद्ध 558 दुग्ध सहकारी समितियों का गठन किया गया है। 318 दुग्ध समितियों के पंजीयन हेतु प्रस्ताव प्रेषित किए जा चुके हैं तथा कुल 157 दुग्ध समितियां पंजीकृत हो गईं हैं।

(iii) 350 दुग्ध समितियों में स्वचालित इकाईयों की स्थापना के लक्ष्य के विरूद्ध 302 दुग्ध समितियों में स्वचालित इकाईयों की स्थापना की जा चुकी है।

(iv) 1125 के लक्ष्य के विरूद्ध के लक्ष्य के विरूद्ध 611 दुग्ध समितियों में स्वचालित इकाईयों की स्थापना की जा चुकी है। शेष में कार्यवाही प्रचलन में है।

7.3 मध्यप्रदेश गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड

7.3.1 बोर्ड की संरचना

मध्यप्रदेश शासन पशुपालन विभाग द्वारा मध्यप्रदेश गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड को दिंनाक 08–10–2004 से राज्य में प्रभावशील घोषित किया गया है। बोर्ड के कृत्यो के संचालन हेतु राज्य स्तर पर एक कार्यपरिषद तथा जिला स्तर पर जिला गौपालन एवं पशुधन संवर्धन समितियों का गठन किया गया है। राज्य गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, उपाध्यक्ष माननीय मंत्री पशुपालन, सदस्य कृषि उत्पादन आयुक्त, प्रमुख सचिव गृह, प्रमुख सचिव वन, प्रमुख सचिव ग्रामीण विकास, प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन विकास, प्रमुख सचिव पशुपालन, संचालक पशुपालन, प्रबन्ध संचालक ऊर्जा विकास निगम, संचालक कृषि, प्रबन्ध संचालक मध्यप्रदेश गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड, प्रबन्ध संचालक राज्य कृषि कल्याण विपणन बोर्ड हैं। राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य निम्नानुसार होते हैः

(अ) राज्य शासन द्वारा नामांकित एक अशासकीय व्यक्ति जो बोर्ड का ''दूसरा'' उपाध्यक्ष होगा।

(ब) गौपालन एवं पशुधन संवर्धन में रूचि रखने वाले 7 अशासकीय सदस्य जिसमें कम से कम दो पंजीकृत गौशाला के संचालक होना अनिवार्य है।

7.3.2 जिला गौपालन एवं पशुधन संवर्धन समिति

जिला गौपालन एवं पशुधन संवर्धन समिति, अध्यक्ष और निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात्– कलेक्टर अध्यक्ष, पुलिस अधीक्षक सदस्य, उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवाएं पदेन सचिव, उप संचालक कृषि कल्याण सदस्य, प्रबंधक, मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम सदस्य, आयुक्त, नगर निगम/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी सदस्य, जिला पंचायत के कृषि समिति का अध्यक्ष सदस्य, सचिव, कृषि उपज मंडी (जिला मुख्यालय का) सदस्य, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सदस्य है। अशासकीय सदस्य निम्नानुसार होते हैः

(अ) चार अशासकीय सदस्य, जिसमें से दो का नामांकन राज्य गौपालन एवम् पशुधन संवर्धन बोर्ड द्वारा एवम् दो का नामांकन जिले के प्रभारी मंत्री द्वारा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जिले के विधायकों में से एक विधायक प्रभारी मंत्री द्वारा मनोनीत किया जाएगा। जिले के विधायकों का कार्यकाल बारी–बारी से एक वर्ष का होगा।

(ब) जिला कलेक्टर, जिला गौपालन एवं पशुधन संवर्धन समिति का पदेन अध्यक्ष होगा अशासकीय सदस्यों में से एक सदस्य उपाध्यक्ष होगा, जिसका मनोनयन राज्य बोर्ड द्वारा किया जाएगा।

(स) संयुक्त/उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं, जिला गौपालन एवं पशुधन संवर्धन समिति का पदेन सचिव होगा।

7.3.3 नवीन गौशालाओं का पंजीयन

गौशालाओं के नवीन पंजीयन हेतु आवेदन जिला गौपालन एवं पशुधन संवर्धन समिति के माध्यम से प्राप्त होने पर बोर्ड के सदस्यों तथा पशुपालन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के भौतिक सत्यापन पश्चात् मापदंड अनुरुप पाए जाने पर पंजीयन की कार्यवाही की जाती है।

7.3.4 मुख्यमंत्री गौसेवा योजना अन्तर्गत निर्मित गौशालाओं की जानकारी

प्रदेश सरकार द्वारा मनरेगा योजना एवं अन्य योजनाओं के अभिसरण से चयनित ग्राम पंचायतों में 1343 गौशालाओं का निर्माण पूर्ण हो चुका है जिनका संचालन ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक गौशाला में 100 गौवंश रखा जा सकेगा जिसमें 1 लाख निराश्रित गौवंश को आश्रय मिल सकेगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक गौशाला के साथ 5 एकड़ का चारागाह निर्मित किया जाएगा जिससे प्रदेश में 5000 एकड़ नवीन चारागाह निर्मित होंगे। गौशालाओं में उपलब्ध गौवंश के चारे भूसे हेतु राशि की व्यवस्था पशुपालन विभाग द्वारा की जाएगी। ग्राम पंचायत यदि गौशाला का संचालन किसी संस्था के माध्यम से कराना चाहे, तो वह आजीविका मिशन की महिला स्वसहायता समूह व स्वयंसेवी संस्था से अनुबंध कर सकती है।

तालिका 7.3

वर्ष 2020–21 में मध्यप्रदेश गौसंवर्धन बोर्ड द्वारा गौशालाओं को वितरित अनुदान

चारे भूसे हेतु वर्ष 2020–21 में जारी राशि का विवरण–

क्रं	विवरण	गौशालाओं की संख्या	प्रदाय राशि (` करोड़ में)
1	पूर्व से संचालित गौशालाओं हेतु	627	41.47
2	मुख्यमंत्री गौसेवा योजना द्वारा संचालित, मनरेगा अन्तर्गत निर्मित गौशालाओं हेतु	936	39.76
	योग	**1563**	**81.23**

7.3. गौ–अभयारण्य अनुसंधान एवं उत्पादन केन्द्र सालरिया सुसनेर, जिला आगर

गौ–अभ्यारण्य अनुसंधान एवं उत्पादन केन्द्र ग्राम सालरिया, तहसील सुसनेर, जिला आगर मालवा में 472.63 हैक्टेयर में स्थापित किया गया है जिसमें,

- निराश्रित, दान में पुलिस अभिरक्षा में प्राप्त गौवंश के आवास तथा भरपूर आहार की सुनिश्तिता, उनके निर्भय व स्वतन्त्र विचरण के लिए, प्राकृतिक और स्वाभाविक वातावरण का निर्माण किया गया है।
- गौवंश को कृषि, ग्रामोद्योग, पर्यावरण व अर्थ से जोड़ने हेतु पंचगव्य के एकत्रीकरण, प्रबन्धन व विपणन का कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है।
- भारतीय नस्लों के संरक्षण, चारागाह विकास, जैविक, बैल व नन्दी का वितरण इत्यादि कार्य किया जाएगा।

7.3.6 गौशालाओं में गोबर से लकड़ी एवं गमले बनाने की मशीनों हेतु आर्थिक सहायता

गौशालाओं को स्वावलंबी बनाने एवं उनमें आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश की 108 गौशालाओं को गोबर से लकड़ी बनाने की मशीन तथा 100 गौशालाओं को गोबर से गमले बनाने के लिए आर्थिक सहायता जिला गौपालन एवं पशुधन संवर्धन समितियों के माध्यम से उपलब्ध कराई गई। इस वर्ष 9 गौशालाओं को गोबर से लकड़ी बनाने की मशीन क्रय हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई है।

7.3.7 गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 में संशोधन

- गौवंश वध पर पूर्ण प्रतिबंध है।
- गौवंश वध अथवा गौवंश अवैध परिवहन के मामले में अपराध सिद्ध होने पर अधिकतम कारावास का सीमा बढ़ाकर 7 वर्ष की गई है।
- अधिनियम के तहद् पकड़े जाने पर सबूत का भार अभियुक्त पर होगा।
- गौवंश अवैध परिवहन के मामले में उपयोग किए गए वाहन को जप्त किया जा सकता है।

7.3.8 प्रदेश स्तर पर गौशालाओं की स्थिति

तालिका 7.3

प्रदेश स्तर पर गौशालाओं की जानकारी

क्रं.	विवरण	संख्या
1.	अशासकीय स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा पंजीकृत संचालित क्रियाशील गौशालाओं की संख्या	627
2.	मुख्यमंत्री गौसेवा योजना अन्तर्गत (मनरेगा) संचालित गौशालाओं कीसंख्या	936
3.	मध्यप्रदेश में अशासकीय स्वयंसेवी संस्थाओं एवं मुख्यमंत्री गौसेवा योजना अन्तर्गत (मनरेगा) कुल संचालित क्रियाशील गौशालाओं की संख्या	1563
4.	मुख्यमंत्री गौसेवा योजनान्तर्गत (मनरेगा) पूर्ण गौशालाओं की संख्या	1343
5.	वर्मी पिट (गौशालाओं की संख्या)	160
6.	गोबर गैस प्लान्ट (गौशालाओं की संख्या)	109
7.	नापेड (गौशालाओ की संख्या)	234
8.	गोबर से लकड़ी बनाने की मशीन क्रय करने हेतु राशि प्रदाय गौशालाओं की संख्या	117
9.	गोबर से गमला बनाने की मशीन क्रय करने हेतु राशि प्रदाय गौशालाओं की संख्या	101
10.	जैविक खाद निर्माण करने वाली गौशालाओं की संख्या	235
11.	गौमूत्र औषधि निर्माण गौशालाओं की संख्या	45

7.4 पशु रोगी कल्याण समिति

राज्य के सभी जिलों में पशु कल्याण समितियों का गठन निम्नांकित उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया गया है:–

(i) क्षेत्र के पशुओं के उपचार की व्यवस्था करना।

(ii) पशुपालन की सुविधा उपलब्ध कराना।

(iii) अन्र्तवासी रोगी पशुपालकों को चिकित्सालय में ठहरने की व्यवस्था करना।

(iv) पशु चिकित्सा भवनों में सुधार करना।

(v) राज्य गौ संवर्धन बोर्ड की अनुमति से अनुदान प्राप्त गौशालाओं की देखभाल/पर्यवेक्षण करना।

(vi) पशु क्रूरता निवारण अधिनियम का पालन करना।

(vii) पशु पक्षियों के कल्याण के कार्यक्रमों के प्रोत्साहन हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करना।

(viii) पालतू जानवरों का टीकाकरण तथा उपचार करना।

(ix) रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम का प्रचार एवं सहयोग करना।

(x) पशु चिकित्सा एवं उन्नत प्रजनन से संबंधित अन्य कार्य।

जिला पशु कल्याण समितियों में कलेक्टर कार्यकारी अध्यक्ष, उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवायें सदस्य व पदेन सचिव एवं जिला स्तर के पशु चिकित्सालय का प्रभारी पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ सदस्य उप सचिव सहित 11 सदस्य होते हैं। इसके अतिरिक्त समिति में जिले के निर्वाचित दो विधायक भी सदस्य होते हैं।

7.5 पशुक्रूरता निवारण समिति

प्रदेश के 51 जिलों में पशु क्रूरता निवारण समिति का गठन किया गया है। जिले में पशु क्रूरता निवारण से संबंधित कार्य समिति के द्वारा किया जाता है।

7.6 मध्यप्रदेश पशु चिकित्सा परिषद्

मध्यप्रदेश राज्य में पशु चिकित्सा परिषद् की स्थापना भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम 1984 के अन्तर्गत की गई थी। राज्य पशु चिकित्सा परिषद का उददेश्य पशु चिकित्सा स्नातकों का पंजीकरण करना तथा पशु चिकित्सा सेवाओं का नियमन करना है।

7.6.1 मध्यप्रदेश राज्य पशु चिकित्सा परिषद् में निम्नानुसार सदस्य होते हैं–

मध्यप्रदेश राज्य पशु चिकित्सा परिषद् नियम 1993 के अन्तर्गत नियम 7 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अनुसार मध्यप्रदेश राज्य पशु चिकित्सा परिषद् का गठन किया जाता है।

मध्यप्रदेश राज्य पशु चिकित्सा परिषद् की संरचना निम्नानुसार होती है :–

क्र.	सदस्यों का प्रकार	सदस्यों की संख्या	चयन का प्रकार
1	म.प्र. राज्य पशु चिकित्सा परिषद के आई.व्ही. पी.आर. में दर्ज पशु चिकित्सकों में से	04	निर्वाचन
2	राज्य शासन द्वारा नामांकित	03	नामांकित
3	राज्य पशु चिकित्सक संघ द्वारा नामांकित	01	नामांकित
4	पशु चिकित्सक संस्थानों के प्रमुख	02	पदेन
5	संचालक पशुपालन मध्यप्रदेश	01	पदेन
6	रजिस्ट्रार, म.प्र. राज्य पशु चिकित्सा परिषद	01	पदेन

7.6.2 मध्यप्रदेश राज्य पशु चिकित्सा परिषद् में वर्तमान में 2313 वैध पशु चिकित्सक पंजीकृत हैं।

7.7 मध्यप्रदेश राज्य पशु कल्याण सलाहकार मण्डल

म.प्र. शासन द्वारा म.प्र. राज्य पशु कल्याण सलाहकार का गठन किया गया है–

7.7.1 मण्डल में निम्नानुसार सदस्य होंगे–

(i) भारसाधक मंत्री म.प्र., पशुपालन एवं डेयरी विभाग–अध्यक्ष
(ii) अध्यक्ष, कार्य परिषद् म.प्र. गौपालन एवं पशुधन संवधर्न बोर्ड भोपाल–उपाध्यक्ष
(iii) प्रमुख सचिव म.प्र. शासन पशुपालन एवं डेयरी विभाग, वन विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, शिक्षा विभाग–सदस्य
(iv) चीफ वाईल्ड लाईफ वार्डन म.प्र.–सदस्य
(v) संचालक पशुपालन एवं डेयरी विभाग म.प्र.–सदस्य सचिव
(vi) प्रबंध संचालक, पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम भोपाल–सदस्य
(vii) भारतीय वन्य जीव कल्याण बोर्ड का एक प्रतिनिधि–सदस्य
(viii) पशु कल्याण से जुड़ी अधिकतम 10 संस्थाओं के प्रतिनिधि–सदस्य

7.7.2 मण्डल का मुख्य कार्य–

पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 के उपबंधों का पर्यवेक्षण एवं प्रशासन करना व पशु के प्रति क्रूरता, बर्ताव, रख रखाव, चिकित्सा सुविधा व अन्य समस्याओं संबंधित सलाह देना व निवारण करना।

भाग–आठ

परिशिष्ट–एक

मध्यप्रदेश में 20वीं पंचवर्षीय पशु संगणना 2019 के जिलेवार पशुधन के आँकड़े

क्र0	जिला	गौवंशीय पशु			भैंसवंशीय पशु	भेड़– भेंड़ी	बकरा– बकरी	सूकर	घोड़े एवं टट्टू	खच्चर	गधे	ऊँट	**कुल पशुधन**	**कुल कुक्कुट**
		संकर नस्ल	देशी नस्ल	**योग**										
1	आगर मालवा	940	158168	**159108**	161642	1119	143352	354	282	0	179	72	**466108**	96469
2	अलीराजपुर	273	361742	**362015**	73417	1466	498099	20	10	7	271	0	**935305**	1351543
3	अनुपपुर	27795	352818	**380613**	63566	117	74527	2315	117	0	1	0	**521256**	367507
4	अशोकनगर	8408	225907	**234315**	146970	1892	106301	1078	97	21	37	0	**490711**	15705
5	बालाघाट	21556	584372	**605928**	186805	35	328851	5683	104	0	10	0	**1127416**	657195
6	बड़वानी	998	419134	**420132**	144617	3295	441719	1462	76	0	94	10	**1011405**	826926
7	बैतूल	70785	502420	**573205**	173775	2358	233219	3454	403	2	299	10	**986725**	525215
8	भिण्ड	29216	98098	**127314**	424230	12516	184256	4962	244	7	98	212	**753839**	15742
9	भोपाल	46066	78499	**124565**	111371	715	50076	3359	149	21	7	2	**290265**	1174428
10	बुरहानपुर	3198	134636	**137834**	54672	30070	121851	231	208	1	102	0	**344969**	99746
11	छतरपुर	10345	293319	**303664**	397354	16326	435965	15596	587	993	739	4	**1171228**	112546
12	छिंदवाड़ा	57904	654253	**712157**	167074	323	368710	1199	402	0	174	7	**1250046**	723936
13	दमोह	8990	471116	**480106**	137718	2409	151144	3828	187	1	42	0	**775435**	30653
14	दतिया	12627	101602	**114229**	290054	14309	163737	3470	139	299	538	3	**586778**	37947
15	देवास	55754	331379	**387133**	249338	45	246694	982	283	0	96	1	**884572**	185062
16	धार	70587	592950	**663537**	279509	5353	687834	355	399	1	212	0	**1637200**	677395
17	डिंडोरी	2458	445611	**448069**	62845	309	75530	4457	140	0	7	0	**591357**	219140
18	खण्डवा	3650	370177	**373827**	170331	136	211682	355	191	0	56	0	**756578**	118692
19	गुना	16286	358452	**374738**	300904	2057	140961	2564	185	1	429	19	**821858**	49192
20	ग्वालियर	13440	133204	**146644**	269483	18576	154554	2391	310	407	747	279	**593391**	129798
21	हरदा	10636	148851	**159487**	83911	102	76337	290	216	0	1	0	**320344**	34276
22	होशंगाबाद	39195	291157	**330352**	112350	259	88045	714	213	0	123	2	**532058**	409967
23	इन्दौर	163849	76025	**239874**	173194	219	144673	749	662	1	32	11	**559415**	679528
24	जबलपुर	50986	243835	**294821**	101598	1013	124914	4991	77	0	4	1	**527419**	2658848

25	झाबुआ	37974	392866	**430840**	132650	2516	424992	5	137	0	273	0	**991413**	628382
26	कटनी	5920	375484	**381404**	97825	1730	148375	5722	133	59	39	0	**635287**	88380
27	खरगौन	3102	609821	**612923**	274497	2568	425712	2117	214	0	222	0	**1318253**	453412
28	मंडला	14427	471770	**486197**	82098	102	109482	17160	59	0	1	4	**695103**	362429
29	मंदसौर	70006	193945	**263951**	254333	10491	218516	1225	804	0	189	649	**750158**	166220
30	मुरैना	30621	77927	**108548**	685578	14524	165302	4386	386	256	498	59	**979537**	164252
31	नरसिंहपुर	33704	221200	**254904**	116684	591	122180	1654	220	0	206	0	**496439**	44586
32	नीमच	42913	194434	**237347**	169746	6701	166426	1115	451	0	123	301	**582210**	46746
33	पन्ना	3621	361894	**365515**	197897	10856	203125	7347	77	27	392	0	**785236**	42042
34	रायसेन	121109	333320	**454429**	138604	1339	141671	585	183	0	85	0	**736896**	125327
35	राजगढ़	17630	254123	**271753**	483042	1189	171777	2494	363	0	245	0	**930863**	244739
36	रतलाम	56441	263307	**319748**	193437	2425	282104	806	513	10	56	20	**799119**	347617
37	रीवा	68436	594333	**662769**	261655	24145	292711	11701	122	1	12	0	**1253116**	199650
38	सागर	28635	716340	**744975**	236093	871	172079	1474	663	1	81	2	**1156239**	304600
39	सतना	40353	539556	**579909**	244153	20241	289844	6398	363	357	180	0	**1141445**	39245
40	सीहोर	137413	231127	**368540**	275960	563	134753	1344	168	2	64	0	**781394**	423470
41	सिवनी	40635	404977	**445612**	113909	91	214473	1540	126	12	23	0	**775786**	273245
42	शहडोल	15850	508686	**524536**	115837	3984	139300	3623	10	0	0	0	**787290**	144981
43	शाजापुर	41981	121315	**163296**	213622	107	106282	979	225	0	65	0	**484576**	116701
44	श्योपुर	3808	260305	**264113**	198624	8591	203050	2794	141	26	300	60	**677699**	94587
45	शिवपुरी	8041	361865	**369906**	411008	35963	337857	4318	179	8	400	3	**1159642**	129459
46	सीधी	37677	482336	**520013**	110308	12795	299223	8684	11	6	32	0	**951072**	333337
47	सिंगरौली	6003	543099	**549102**	81239	4321	227350	2291	107	5	9	0	**864424**	167494
48	टीकमगढ़	15931	291275	**307206**	316146	35662	364233	4344	588	3	73	2	**1028257**	236332
49	उज्जैन	75095	190426	**265521**	352004	1978	265505	3000	1107	5	150	20	**889290**	173307
50	उमरिया	4275	326332	**330607**	51632	3969	97151	2146	18	0	6	0	**485529**	44668
51	विदिशा	8620	306062	**314682**	161822	816	88020	461	211	3	113	0	**566128**	67653
योग		**1696163**	**17055850**	**18752013**	**10307131**	**324148**	**11064524**	**164572**	**13260**	**2543**	**8135**	**1753**	**40638079**	**16660317**

परिशिष्ट–दो

20वीं पशुधन गणना 2019 के अनुसार पशुधन आँकड़ों में देश की तुलना में म0प्र0 की हिस्सेदारी

क्रं0	विवरण	भारत	मध्यप्रदेश	भारत की तुलना में म0प्र0 का प्रतिशत
1.	गौवंशीय			
(अ)	संकर नस्ल पशु	51356405	1694975	**3.30**
(ब)	देशी नस्ल पशु	142106466	17055853	**12.00**
	कुल गौवंशीय पशु	**193462871**	**18750828**	**9.69**
2.	भैंस वंशीय पशु	109851678	10307131	**9.38**
3.	भेड़ा–भेंड़ी	74260615	324585	**0**
4.	बकरा–बकरी	148884786	11064524	**7.43**
5.	सूकर	9055488	164616	**1.82**
6.	घोड़े–टट्टू	342226	13260	**3.87**
8.	खच्चर	84261	2543	**3.02**
9.	गधे	123587	8135	**6.58**
10.	ऊँट	251956	1753	**0.70**
कुल पशुधन		**536761343**	**40637375**	**7.57**
11.	कुल कुक्कुट	851809931	16659898	**1.96**

'स्त्रोतः भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पुस्तिका अनुसार

देश में राज्यों के पशु उत्पाद अनुमानित दूध, अण्डा, ऊन एवं मांस उत्पादन (वर्ष 2019–20) की स्थिति

क्र.	प्रदेश	दूध उत्पादन (000मे. टन में)	अण्डा उत्पादन (लाख में)	मांस उत्पादन (000में. टन में)	ऊन उत्पादन (000 कि.ग्रा. में)
1	आन्ध्र प्रदेश	15263.10	219275.18	850.39	801.14
2	अरुणाचल प्रदेश	60.63	604.92	22.67	43.00
3	असम	919.94	5148.75	52.96	0.00
4	बिहार	10480.33	27408.02	383.51	310.78
5	छत्तीसगढ़	1675.56	20289.04	66.04	82.99
6	गोवा	61.43	400.02	7.21	0.00
7	गुजरात	15292.35	19274.18	33.47	2232.72
8	हरियाणा	11734.72	66153.17	553.87	729.52
9	हिमांचल प्रदेश	1530.94	1066.21	4.76	1516.44
10	जम्मू एवं कश्मीर	2506.36	2216.19	95.44	7477.12
11	झारखण्ड	2321.16	6928.05	67.17	209.97
12	कर्नाटक	9031.49	66511.22	304.85	1742.14
13	केरल	2544.35	21845.10	452.71	0.00
14	मध्यप्रदेश	17108.96	23793.88	106.50	411.85
15	महाराष्ट्र	12024.26	63713.01	1139.88	1412.27
16	मणिपुर	89.65	1081.81	28.70	0.00
17	मेघालय	87.60	1102.02	46.35	0.00
18	मिजोरम	23.53	433.38	16.41	0.00
19	नागालैण्ड	61.64	381.64	32.09	0.00
20	उड़ीसा	2370.09	23814.02	204.68	0.00
21	पंजाब	13347.56	56387.99	248.38	525.36
22	राजस्थान	25573.09	26962.40	199.59	12716.83
23	सिक्किम	83.94	48.27	3.76	0.00
24	तमिलनाडु	8759.01	200216.03	663.46	0.00
25	तेलंगाना	5589.80	148055.17	848.16	3960.14
26	त्रिपुरा	198.60	2949.81	50.57	0.00
27	उत्तर प्रदेश	31863.91	34049.29	1166.00	1328.64
28	उत्तराखण्ड	1844.71	4786.30	25.26	496.69
29	पश्चिम बंगाल	5868.61	97350.10	902.86	762.96
30	अण्डमान निकोवार	18.90	1188.86	5.63	0.00
31	चण्डीगढ़	48.87	124.50	0.80	0.00
32	दादर व नगरहवेली	0.00	0.00	0.00	0.00
33	दमन एण्ड ड्यू	1.21	5.21	0.22	0.00
34	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00
35	लक्ष्यद्वीप	3.78	153.48	0.43	0.00
36	पुडूचेरी	49.50	113.79	14.64	0.00
योग		**198439.57**	**1143831.01**	**8599.40**	**36760.57**

स्त्रोत–भारत सरकार कृषि मंत्रालय, सांख्यिकी अनुभाग

जिलेवार अनुमानित दूध, अण्डा, ऊन एवं मांस उत्पादन की जानकारी (वर्ष 2020–21)

क.	जिला	दुग्ध उत्पादन (000 मे.टन में)	अण्डा उत्पादन (लाख में)	मांस उत्पादन (000 मे.टन में)	ऊन उत्पादन (000 कि.ग्राम में)
1	जबलपुर	346.12	8230.11	12.16	1.25
2	कटनी	221.54	52.50	2.23	2.31
3	मण्डला	141.28	210.58	0.94	0.13
4	डिन्डोरी	101.63	161.35	0.72	0.24
5	नरसिंहपुर	229.85	40.16	1.14	0.68
6	छिन्दवाडा	312.55	721.11	2.76	0.00
7	बालाघाट	230.56	438.09	1.29	0.00
8	सिवनी	236.97	304.56	2.92	0.00
9	सागर	544.05	418.63	2.65	0.22
10	दमोह	319.46	122.49	1.21	3.12
11	पन्ना	302.98	55.14	0.94	17.04
12	टीकमगढ	489.92	146.37	2.86	56.83
13	छतरपुर	502.93	93.08	1.13	24.16
14	रीवा	585.91	92.94	1.95	22.40
15	सीधी	236.42	230.83	1.48	18.67
16	सिंगरोली	249.01	278.23	1.31	1.80
17	सतना	535.56	106.06	1.59	18.80
18	शहडोल	180.34	178.66	0.89	5.67
19	अनुपपुर	99.90	176.84	0.99	0.00
20	उमरिया	119.49	76.40	0.71	3.68
21	इंदौर	645.29	2362.98	10.12	0.24
22	धार	491.37	616.02	1.68	7.28
23	झाबुआ	193.55	649.36	0.81	3.78
24	अलीराजपुर	146.35	538.06	0.81	1.96
25	खरगोन	420.69	486.44	1.67	2.76
26	बडवानी	236.70	700.58	1.40	3.02
27	खण्डवा	274.76	115.01	2.50	0.08
28	बुरहानपुर	85.64	90.93	1.27	45.31
29	उज्जैन	657.88	164.28	1.64	3.17
30	मन्दसौर	499.13	123.24	1.17	15.65

31	नीमच	281.97	35.47	0.87	10.06
32	रतलाम	354.37	300.95	3.07	2.75
33	देवास	576.29	274.75	6.37	0.02
34	शाजापुर	279.98	379.51	1.49	0.06
35	आगर	262.15	362.49	1.42	0.42
36	ग्वालियर	462.46	184.32	1.24	27.30
37	मुरेना	866.09	50.80	1.06	21.05
38	श्योपुर	319.61	40.93	0.69	12.06
39	भिण्ड	513.00	24.12	0.79	17.66
40	शिवपुरी	626.34	130.34	1.44	48.82
41	गुना	381.18	79.86	1.05	2.41
42	अशोकनगर	233.04	33.66	0.70	2.85
43	दतिया	334.38	22.93	0.71	20.59
44	भोपाल	283.47	4815.10	14.83	0.04
45	सीहोर	553.44	255.48	2.63	0.45
46	रायसेन	312.20	174.22	2.69	1.01
47	विदिशा	354.65	70.59	3.95	0.77
48	बैतूल	361.47	350.82	1.21	1.24
49	राजगढ	553.22	694.98	3.67	0.96
50	होशंगाबाद	310.12	186.47	0.90	0.25
51	हरदा	142.04	66.78	0.61	0.03
Total		**17999.30**	**26515.66**	**116.34**	**431.07**

परिशिष्ठ–पांच

प्रजनन योग्य गौ–भैंस की जानकारी

20वीं पशु संगणना 2019 के अनुसार प्रजनन योग्य मादाओं की जानकारी						
क्रं	जिला	संकर गाय	देशी गाय	योग	भैंस वंश	कुल प्रजनन योग्य गौ–भैंस वंश
1	AGAR MALWA	487	81173	**81660**	84199	**166346**
2	ALIRAJPUR	150	71999	**72149**	37153	**109452**
3	ANUPPUR	11662	85772	**97434**	20418	**129514**
4	ASHOKNAGAR	3852	117953	**121805**	76722	**202379**
5	BALAGHAT	9812	158676	**168488**	71596	**249896**
6	BARWANI	471	114150	**114621**	78265	**193357**
7	BETUL	31284	130509	**161793**	84882	**277959**
8	BHIND	15421	55312	**70733**	207652	**293806**
9	BHOPAL	25332	42298	**67630**	61587	**154549**
10	BURHANPUR	1480	42065	**43545**	28660	**73685**
11	CHHATARPUR	4867	129824	**134691**	211368	**350926**
12	CHHINDWARA	27376	187242	**214618**	82115	**324109**
13	DAMOH	4243	227335	**231578**	71678	**307499**
14	DATIA	6620	50285	**56905**	147536	**211061**
15	DEWAS	31067	140795	**171862**	132476	**335405**
16	DHAR	34286	192143	**226429**	146217	**406932**
17	DINDORI	742	85000	**85742**	22863	**109347**
18	EAST NIMAR	1030	110218	**111248**	84697	**196975**
19	GUNA	6930	157996	**164926**	148856	**320712**
20	GWALIOR	7623	69318	**76941**	144902	**229466**
21	HARDA	5256	61992	**67248**	42049	**114553**
22	HOSHANGABAD	19092	135643	**154735**	56505	**230332**
23	INDORE	95115	36778	**131893**	102881	**329889**
24	JABALPUR	26454	101170	**127624**	57378	**211456**
25	JHABUA	16994	107138	**124132**	68619	**209745**
26	KATNI	2999	137891	**140890**	46198	**190087**
27	KHARGONE	1778	185384	**187162**	159551	**348491**
28	MANDLA	5882	112592	**118474**	27138	**151494**
29	Mandsaur	36643	92621	**129264**	130862	**296769**
30	MORENA	16013	40563	**56576**	336624	**409213**
31	NARSINGHPUR	16804	98849	**115653**	57534	**189991**
32	NEEMUCH	21435	90998	**112433**	87736	**221604**

33	PANNA	1303	143955	**145258**	96586	**243147**
34	RAISEN	63447	149541	**212988**	65175	**341610**
35	RAJGARH	8968	116781	**125749**	244688	**379405**
36	RATLAM	29439	108503	**137942**	100467	**267848**
37	REWA	33827	267205	**301032**	124769	**459628**
38	SAGAR	12869	356868	**369737**	121151	**503757**
39	SATNA	19826	253249	**273075**	119548	**412449**
40	SEHORE	72121	107908	**180029**	142502	**394652**
41	SEONI	18588	111710	**130298**	50914	**199800**
42	SHAHDOL	7515	127277	**134792**	41398	**183705**
43	SHAJAPUR	22677	60264	**82941**	112313	**217931**
44	SHEOPUR	1651	123221	**124872**	101108	**227631**
45	SHIVPURI	3897	157399	**161296**	208706	**373899**
46	SIDHI	18166	151254	**169420**	53365	**240951**
47	SINGRAULI	2843	140440	**143283**	39381	**185507**
48	TIKAMGARH	7691	129920	**137611**	162043	**307345**
49	UJJAIN	40248	98400	**138648**	193862	**372758**
50	UMARIA	2287	97162	**99449**	24284	**126020**
51	VIDISHA	4880	164388	**169268**	87288	**261436**
Total		**861443**	**6317127**	**7178570**	**5206465**	**13246478**

परिशिष्ठ–छः

मध्यप्रदेश में 19वीं पशु संगणना 2012 के अनुसार प्रति संस्थावार पशुधन की स्थिति
(माह दिसम्बर 2021 की स्थिति में)

क्रं	जिला	पशु चिकित्सालय	पशु औषधालय	कुल संस्थाएं	पशु संख्या 2012	प्रति संस्था पशु संख्या
1	भोपाल	15	7	22	234159	10644
2	सीहोर	19	25	44	458679	10425
3	रायसेन	16	33	49	641564	13093
4	राजगढ़	20	40	60	1195668	19928
5	विदिशा	14	39	53	601441	11348
6	बैतूल	27	54	81	795234	9818
7	होशंगाबाद	16	33	49	535589	10930
8	हरदा	8	13	21	262227	12487
9	इन्दौर	18	24	42	431351	10270
10	धार	30	52	82	1266630	15447
11	झाबुआ	14	25	39	781732	20044
12	अलीराजपुर	13	19	32	810729	25335
13	खरगौन	38	34	72	1020266	14170
14	बड़वानी	25	23	48	821844	17122
15	खण्डवा	21	21	42	601022	14310
16	बुरहानपुर	8	15	23	297093	12917
17	उज्जैन	26	21	47	792771	16867
18	देवास	20	25	45	748882	16642
19	शाजापुर	17	17	34	833352	24510
20	रतलाम	21	38	59	702305	11903
21	मंदसौर	24	17	41	721011	17586
22	नीमच	17	16	33	542342	16435
23	ग्वालियर	22	20	42	596495	14202
24	शिवपुरी	29	47	76	1276576	16797
25	दतिया	12	25	37	363883	9835
26	मुरैना	24	23	47	956386	20349
27	श्योपुरकला	11	22	33	525201	15915

क्रं	जिला	पशु चिकित्सालय	पशु औषधालय	कुल संस्थाएं	पशु संख्या 2012	प्रति संस्था पशु संख्या
28	भिण्ड	21	28	49	435969	8897
29	गुना	15	41	56	725119	12949
30	अशोकनगर	11	24	35	452678	12934
31	सागर	41	42	83	1164862	14034
32	दमोह	29	23	52	796732	15322
33	छतरपुर	34	39	73	849960	11643
34	टीकमगढ़	26	42	68	868195	12958
35	पन्ना	26	32	58	693403	11955
36	जबलपुर	31	28	59	571090	9679
37	कटनी	13	29	42	585010	14269
38	नरसिंहपुर	14	33	47	559356	11901
39	सिवनी	18	53	71	814054	11629
40	छिंदवाड़ा	26	74	100	1111988	11120
41	बालाघाट	27	48	75	950343	12671
42	मण्डला	25	31	56	531018	9482
43	डिण्डोरी	12	23	35	490734	14021
44	रींवा	41	56	97	1323162	13502
45	सतना	28	61	89	1327461	15915
46	सींधी	24	41	65	754098	11602
47	सिंगरौली	15	21	36	866924	24081
48	शहडोल	23	35	58	709913	12240
49	उमरिया	13	16	29	458055	15795
50	अनुपपुर	15	26	41	478071	11660
51	आगर	10	9	19		
	योग	**1063**	**1583**	**2646**	**36332627**	**13721**

माननीय मंत्री श्री प्रेमसिंह पटेल, मध्यप्रदेश शासन पशुपालन एवं डेयरी विभाग ग्राम निम्बोल तहसील कुक्षी, जिला धार में कामधेनू गौशाला का निरीक्षण करते हुए

दिनांक 13 नवम्बर 2021 को श्री अतुल चतुर्वेदी, (भा.प्र.से.) सचिव, भारत सरकार मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, नई दिल्ली एवं श्री जे.एन. कांसोटिया, अपर मुख्य सचिव पशुपालन एवं डेयरी विभाग मध्यप्रदेश शासन, विभागीय कॉल सेन्टर का निरीक्षण करते हुए